# खंड – IV

## अनुबंध की सामान्य शर्तें (जी सी सी)

# नियमों की तालिका


**प्रस्तावना**

**क. परिभाषा और व्याख्या**

1. परिभाषाएं 01
2. व्याख्या 05

**ख. अनुबंध का विषय वस्तु**

3. आपूर्ति का क्षेत्र 10
4. वितरण कार्यक्रम 12
5. प्रदायक की जिम्मेदारियां 12
6. क्रेता की जिम्मेदारियां 14

**ग. भुगतान**

7. अनुबंध की कीमत 14
8. भुगतान की शर्तें 15
9. प्रतिभूति 15
10. कर और शुल्क 18

**घ. बौद्धिक सम्पदा**

11. कॉपी राइट 22
12. गोपनीय सूचना 22

**ङ. अनुबंध का निष्पादन**

13. प्रतिनिधि 24
14. कार्य से संबंधित कार्यक्रम 27
15. उप अनुबंध 29
16. डिजाइन और इंजीनियरिंग 30
17. सामान और उससे संबंधित सेवाएं 34
18. संस्थापना का पर्यवेक्षण 36
19. परीक्षण और निरीक्षण 37
20. समापन 38

**च. गारंटी और देयताएं**

21. समापन समय की गारंटी 42
22. दोष संबंधी देयताएं 43
23. उपकरण कार्य निष्पादन गारंटी 45
24. पेटेंट क्षतिपूर्ति 46
25. देयता की सीमा 48

**छ. जोखिम वितरण**

26. स्वामित्व का हस्तांरण 48
27. संपत्ति की हानि या नुकसान, कामगार के साथ दुर्घटना या चोट, क्षतिपूर्ति 49

28. बीमा 50
29. कानून और विनियमों में परिवर्तन 54
30. अप्रत्याशित घटना 55

**ज. अनुबंध के तत्वों में परिवर्तन**

31. सुविधाओं में बदलाव 56
32. समय का विस्तार 59
33. समाप्ति 60
34. सौंपा गया कार्य 63

**झ. विवाद का समाधान**

35. विवादों का निपटारा 63
36. मध्यस्थता 65

# अनुबंध की सामान्य शर्तें (जी सी सी)

## प्रस्तावना

बोली संबंधी दस्तावेज (जिसे अनुबंध की सामान्य शर्तों के रूप में (जी सी सी) नाम दिया गया है), के इस खंड (खंड- IV) में अनुबंध के अंतर्गत पक्षकारों के सभी अधिकारों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। इस खंड में वे प्रावधान भी निहित हैं, जिनका उपयोग उसमें बिना किसी बदलाव के तब तक किया जाना है जब तक खंड – V (जिसे अनुबंध की सामान्य शर्तों के रूप में (एस सी सी) नाम दिया गया है), में जी सी सी में किसी परिवर्तनों अथवा किसी पूरक सूचना, जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे एस सी सी में दर्शाया गया हो, में अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं हो। यदि खंड – 4 और खंड – V के प्रावधानों में कोई टकराव हो तो खंड – V के प्रावधान लागू होंगे।

## क. परिभाषा और व्याख्या

## 1. परिभाषाएं

1.1 निम्नलिखित शब्द और अभिव्यक्तियों का अभिप्राय एतद्वारा उन्हें दी गई अभिप्रायों से होगा :

(क) "मध्यस्थ" का अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है, जिनकी नियुक्ति इसके जी सी सी के उप-नियम 36.1 (मध्यस्थता) के अनुसरण में क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच पक्षकारों द्वारा उन्हें संदर्भित किसी विवाद अथवा अंतर का निपटारा करने के लिए अथवा उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच करार द्वारा किया गया है।

(ख) "सहयोगी" अथवा "परेंट कंपनी" का अभिप्राय उन प्रतिष्ठानों/ निगमों से से जिनसे विशिष्ट उपकरण के लिए उत्पादन सीमा स्थापित करने के लिए निर्माता को प्रद्योगिकीय सहायता प्रदान की है।

(ग) "आरंभ" करने का अभिप्राय क्रेता द्वारा वस्तुओं के प्रचालन, जिसका उल्लेख सभी कार्यों के समापन के संबंध में तकनीकी विनिर्देशनों में किया गया है तथा सुविधाओं को समय से पूर्व सफलतापूर्वक पूरा करना जहां सामानों को संस्थापित किया गया है, से है।

(घ) "समापन" का अभिप्राय संविदा में दिए गए नियमों एवं शर्तों तथा किसी ठेकेदार के माध्यम से क्रेता द्वारा उपर्युक्त सामानों को चालू करने के अनुरूप आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संबंधित सेवाओं की पूर्ति तथा सामानों का वितरण है।

(ङ) "अनुबंध" का अभिप्राय क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच किए गए अनुबंध करार के साथ साथ उनमें उल्लेख किए गए अनुबंध संबंधी दस्तावेजों से है।

(च) "अनुबंध संबंधी दस्तावेजों" का अभिप्राय उन दस्तावेजों से है जिन्हें अनुबंध करार (उससे संबंधित किसी संशोधनों को शामिल करते हुए) के रूप में अनुच्छेद 1 के नियम 1.1 (अनुबंध संबंधी दस्तावेज) में सूचीबद्ध किया गया है।

(छ) "अनुबंध मूल्य" का अभिप्राय उस राशि से है जिसका उल्लेख अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत) के नियम 2.1 में उल्लेख किया गया हो लेकिन यह वैसे समावेशनों और कटौतियों जिसे संविदा के अनुसरण में किया गया हो, के अध्यधीन होगी। परिसमाप्त क्षति और अनुबंध कार्य निष्पादन गारंटी के उद्देश्य से, अनुबंध मूल्य का अभिप्राय उस राशि से है जिसका उल्लेख अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत) के नियम 2.1 में किया गया है।

(ज) "ठेकेदार" का अभिप्राय उन प्रतिष्ठानों से है जिनकी नियुक्ति अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले सामानों की वास्तविक संस्थापना के लिए क्रेता द्वारा की गई हो।

(झ) "दिन" का अभिप्राय ग्रेगोरियन कलेंडर के किसी कलेंडर दिन है।

(ञ) "दोष संबंधी देयताओं की अवधि" का अभिप्राय आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी गई गारंटियों की वैद्यता की अवधि है जिनके दौरान आपूर्तिकर्त्ता सामानों के संबंध में खामियों के लिए जिम्मेदार हैं जैसा कि इसके जी सी सी नियम 22 (दोष संबंधी देयता) में प्रावधान किया गया है।

(ट) "वितरण कार्यक्रम" का अभिप्राय उस समय से जिसके भीतर अंतिम गंतव्य स्थल तक सामानों की प्रदायगी संपूर्ण रूप में विनिर्देशनों के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्राप्त की जानी है (अथवा उन सुविधाओंके किसी भाग का जहां इस तरह के भाग की पृथक वितरण समय कार्यक्रम का निर्धारण एस सी सी में किया गया हो।

(ठ) "प्रभावी तिथि" का अभिप्राय अवार्ड की अधिसूचना की तिथि जिससे वितरण कार्यक्रम का निर्धारण किया जायेगा, से है।

(ड) "सुविधाओं" का अभिप्राय क्रेता/ ठेकेदार द्वारा स्थापित की जाने वाली स्थाई संयंत्र से है, जिसमें अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति किये जाने वाले सामानों को शामिल किया जाना है।

(ढ) "जी सी सी" का अभिप्राय इसके अनुबंध की सामान्य शर्तों से है।

(ण) "सामानों" का अभिप्राय उन सभी वस्तुओं, कच्चे माल, मशीनरी और उपकरण और/ अथवा अन्य सामग्री से है, जिसे आपूर्तिकर्त्ता को अनुबंधित के अंतर्गत क्रेता की आपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

(त) "लाइसेंसी" का अभिप्राय उस पक्षकार से है जिसे लाइसेंस देने वाला वाणिज्यि उद्देश्यों से इस प्रोद्योगिकी के आधार पर उस प्रोद्योगिकी का उपयोग करने अथवा इस उत्पाद का उत्पादन करने अथवा प्रणाली स्थापित करने के लिए समग्र जानकारी एवं तकनीकों (आपसी सहमति के आधार पर नियमों एवं शर्तों के अनुसार) सहित संपदा अधिकारों का हस्तांतरण (संपूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में) करता हो।

"लाइसेंसी" के पास इस प्रोद्योगिकी को अपनाने और इसे विकसित करने का अधिकार होगा और साथ ही इस उत्पाद को तैयार करने का भी अधिकार होगा, जिसके लिए उसे मालिकाना अधिकार प्राप्त हो।

(थ) "लाइसेंस देने वाला" का अभिप्राय उस पक्षकार से है जिसके पास किसी खास प्रोद्योगिकी/ उत्पाद के लिए लाइसेंस हो और साथ ही वह पूरे जीवन काल के लिए तथा उस स्थान विशेष के लिए संपदा अधिकारों का मालिक हो।

(द) "महीना" का अभिप्राय ग्रेगोरियन कलेंडर के कलेंडर महीने से है।

(ध) "अवार्ड की अधिसूचना" का अभिप्राय आपूर्तिकर्त्ता को यह अधिसूचित करते हुए कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है, क्रेता द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस से है।

(न) "मालिक" का अभिप्राय उस प्रतिष्ठान/ निगम/ सरकारी कंपनी से है जिसका नाम एस सी सी में दिया गया हो, जिसने इन सुविधाओं को स्थापित करने का निर्णय लिया हो और उसने कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होंगे अथवा मालिक द्वारा कार्यों की अनुमति दी गई हो।

(प) "परियोजना प्रबंधक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसकी नियुक्ति क्रेता द्वारा इसके जी सी सी उप-नियम 13.1 में दिए गए रूप में क्रेता द्वारा प्रत्यायोजित कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए क्रेता द्वारा की गई हो।

(फ) "परियोजना स्थल" का अभिप्राय ऐसी भूमि अथवा अन्य स्थानों से है, जिसका उल्लेख संविदा में स्थल के भाग का निर्माण के रूप में किया गया हो, जिस पर सामानों की आपूर्ति की जानी है।

(ब) "क्रेता" का अभिप्राय उस प्रतिष्ठान/ निगम/ सरकारी प्रतिष्ठान से जिसका नाम एस सी सी में दिया गया हो, जो सामानों तथा उससे संबंधित सेवाओं की खरीद कर रहा हो। क्रेता स्वयं मालिक अथवा ऐसी एक एजेंसी हो सकते है, जिसकी नियुक्ति मालिक द्वारा की गई हो और इसमें कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होंगे अथवा क्रेता द्वारा अनुमति दिये गये कार्य शामिल होंगे।

(भ) "संबंधित सेवाओं" का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो सामानों की आपूर्ति से संबंधित हैं जैसे बीमा, संस्थापना, प्रशिक्षण, संस्थापना का पर्यवेक्षण और प्रारंभिक अनुरक्षण तथा अनुबंध के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता के ऐसे अन्य दायित्व

(म) "एस सी सी" का अभिप्राय अनुबंध की विशेष शर्तों से है।

(य) "उप-ठेकेदार"/"विक्रेता"/"उप विक्रेता" का अभिप्राय उन प्रतिष्ठानों/ निगमों/ सरकारी कंपनियों से है जिन्हें आपूर्ति किए जाने वाले सामानों के किसी भाग अथवा संबंधित सेवाओं के किसी भाग को कार्यान्वित करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लिखित रूप में क्रेता की सहमति से प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर उप-ठेका दिया गया हो और इसमें इसके कानूनी उत्तराधिकारी अथवा अनुमति दिए गए कार्य शामिल होंगे।

(र) "आपूर्तिकर्त्ता" का अभिप्राय उन प्रतिष्ठानों से जिसके अनुबंध का कार्यान्वित करने के लिए बोली को क्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसका नाम अनुबंध करार में दिया गया है और इसमें आपूर्तिकर्त्ता के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा अनुमति दिए गए कार्य शामिल हैं।

(ल) "आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि" का अभिप्राय उस व्यक्ति से जिसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नामित किया गया हो तथा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए इसके जी सी सी उप नियम 13.2 (आपूर्तिकर्त्ता का प्रतिनिधि) में किए गए प्रावधान के अनुसार क्रेता द्वारा अनुमोदन किया गया हो।

(व) "कार्य लेने" का अभिप्राय क्रेता की जी सी सी उप-नियम 20.4 में किये गये प्रावधान के अनुसार दायित्व का निवर्हन करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता के बाद उपबंध के अंतर्गत सामानों एवं उससे संबंधित सेवाओं की लिखित स्वीकृति से है।

## 2. व्याख्या

2.1 अनुबंध

सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अनुबंधों को एस सी सी में नीचे दिए अनुसार परिभाषा दी जाएगी ।

2.2 अनुबंध संबंधी दस्तावेज

सभी दस्तावेज दो अनुबंध का हिस्सा बनते हैं (और उसके सभी भाग) का उद्देश्य सह संबंधी, पूरक और आपसी तौर पर व्याख्यात्मक होना है और यह उपबंध करार के अनुच्छेद 1.2 (अग्रगामी होने के क्रम) के अध्यधीन होगा। अनुबंध को संपूर्ण रूप में पढ़ा जायेगा।

2.3 भाषा

अनुबंध की नियम संबंधी भाषा और संप्रेषण के लिए भाषा अंग्रेजी होगी।

2.4 एकवचन और बहुवचन

एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल होगा लेकिन यह वहां शामिल नहीं होगा, जहां इस संदर्भ की अन्य प्रकार से अपेक्षा हो।

2.5 शीर्षक

उपबंध की सामान्य शर्तों में शीर्षक और सीमांत नोट संदर्भ की सुविधा के लिए शामिल किए गए और यह न तो उपबंध का एक भाग होगा और न ही यह इसकी व्याख्या को प्रभावित करेगा।

2.6 समग्र करार

इसके जी सी सी उप नियम 12.4 के अध्यधीन, यह उपबंध, उपबंध की विषय वस्तु के संबंध में क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच संपूर्ण करार का बनाता है और यह उप उपबंध की तिथि के पूर्व पक्षकारों के संबंध में किए गए सभी पत्राचारों, सुलह और करारों (चाहे वह लिखित रूप में हो अथवा मौखिक रूप में हो) को अधिक्रमित करेगा।

2.7 संशोधन

उपबंध में किसी प्रकार का संशोधन अथवा अन्य बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे लिखित रूप में नहीं दिया गया हो अथवा उसकी तिथि नहीं दी गई हो तथा स्पष्ट तौर पर उपबंध को संदर्भित नहीं करता हो और इसके प्रत्येक पक्षकार के विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस पर हस्ताक्षर न किया गया हो।

2.8 स्वतंत्र ठेकेदार

आपूर्तिकर्त्ता एक स्वतंत्र ठेकेदार होगा जो उपबंध का निर्वहन करता हो। यह उपबंध कोई एजेंसी, साझेदारी, संयुक्त उद्यम अथवा इसके पक्षकारों के बीच अन्य संयुक्त संबंध नहीं बनाता है।

उपबंध के प्रावधानों के अध्यधीन, आपूर्तिकर्त्ता उस रूप में जिम्मेदार होगा जिसमें उपबंध को कार्यान्वित किया जाना है। उपबंध के कार्य निष्पादन के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों, प्रतिनिधियों अथवा उप ठेकेदार आपूर्तिकर्त्ता के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन होंगे और उन्हें क्रेता के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जायेगा और साथ ही उपबंध में निहित किसी बात के नहीं होने अथवा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दिए गए किसी उप

अनुबंध में निहित किसी बातों के न होने का अर्थ यह नहीं होगा कि यह ऐसे किसी कर्मचारियों, प्रतिनिधियों अथवा उप ठेकेदारों और क्रेता के बीच उपबंध संबंधी किसी संबंध को बनाता है।

2.9 संयुक्त उद्यम

यदि आपूर्तिकर्त्ता दो अथवा उससे अधिक प्रतिष्ठानों का एक संयुक्त प्रतिष्ठान है तब इस प्रकार के सभी प्रतिष्ठान संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग तौर पर उपबंध के प्रावधानों की पूर्ति किए जाने के लिए क्रेता के प्रति बाध्य होंगे और इस प्रकार का एक प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम को बनाये रखने के लिए अधिकार के साथ एक अग्रणी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करेगा। संयुक्त उद्यम की संरचना अथवा गठन में क्रेता की पूर्व में प्राप्त किसी लिखित सहमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2.10 गैर माफी

2.10.1 नीचे दिए गए जी सी सी उपनियम 2.10.2 के अध्यधीन, उपबंध के किसी नियमों अथवा शर्तों को लागू करने में इसमें से किसी पक्षकार द्वारा कोई छूट, सहनशीलता, बिलंब अथवा लिप्तता नहीं होगी अथवा इसमें से किसी पक्षकार द्वारा दूसरे को समय देना उपबंध के अंतर्गत उस पक्षकार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा अथवा उसे प्रतिबंधित नहीं करेगा और न ही बाद में उपबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन को माफ करने के रूप में उपबंध के उल्लंघन के लिए किसी पक्षकार द्वारा कोई माफी नहीं दी जाएगी।

2.10.2 इस उपबंध के अंतर्गत किसी पक्षकारों के अधिकारों, शक्तियों अथवा निदान संबंधी उपायों की कोई माफी लिखित रूप में दी जाएगी, इस पर इस प्रकार की माफी दिए जाने के संबंध में पक्षकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तिथि दी जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा और यह निश्चित रूप से उस अधिकार और सीमा का उल्लेख करेगा, जहां तक इसे माफ किया जा रहा है।

2.11 अलग होने की क्षमता

यदि उपबंध का कोई प्रावधान अथवा शर्त पर रोक लगाई गई हो अथवा उसे अवैध करार दिया गया हो या उसे लागू न करने योग्य माना गया हो तब इस प्रकार के प्रतिबंध, अवैधता अथवा लागू न करने की क्षमता उपबंध के किसी अन्य प्रावधानों और शर्तों की वैधता अथवा उसे लागू करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा

2.12 उत्पत्ति का देश

"उपत्ति" का आशय उस स्थान से जहां सामानों का खनन किया गया है, उसे पैदा किया गया है, उसका उत्पादन किया गया है, उसका विनिर्माण किया गया है अथवा उसे प्रसारित किया गया है अथवा विनिर्माण, प्रसारण अथवा संघटकों को पर्याप्त रूप में एसेम्बल करने के माध्यम से, एक वाणिज्यिक रूप से मान्यता प्राप्त उत्पाद के परिणाम वह होते हैं जो मूल लक्षणों में अथवा उस उद्देश्य से अथवा उस उपयोगिता के उद्देश्य से अपने संघटकों से पूर्ण रूप से अलग हो।

2.13 सूचना

2.13.1 यदि उपबंध में अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया हो तब उपबंध के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सूचनाएं लिखित रूप में होंगी और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के साथ उपबंध के करार में निर्धारित संबंधित पक्षकार के पते पर व्यक्तिगत प्रदायगी, विशेष कुरियर, टेलीग्राफ, फैक्स अथवा इलेक्ट्रानिक डाटा अंतरण (ई डी आई) द्वारा भेजी जाएगी।

(क) टेलीग्राफ, फैक्स अथवा ई डी आई के द्वारा भेजी गई किसी सूचना की पुष्टि इस उपबंध में किए गए अन्य प्रकार से उल्लेख को छोड़कर विशेष कुरियर द्वारा भेजी गयी सूचना द्वारा डिस्पेच के बाद दो (2) दिनों के भीतर की जाएगी।

(ख) विशेष कुरियर द्वारा भेजी गयी किसी सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि (पूर्व की प्राप्ति रसीद के साक्ष्य न होने पर) इसे डिस्पेच के बाद दस (10) दिनों के भीतर दे दिया गया है। डिस्पेच के तथ्य को सिद्ध करने में, यह दर्शाना व्याप्त होगा कि इस प्रकार की सूचना वाले लिफाफे पर सही रूप से पता लिखा गया था, इस पर स्टाम्प लगाया था और इसकी सूचना डाक अधिकारियों को दी गई थी अथवा कुरियर सेवा को विशेष कुरियर द्वारा आगे भेजे जाने के लिए दिया गया था। इसके अलावा, इस शर्त के साथ की जब कभी डाक अधिकारी अथवा कुरियर सेवा इसे वितरित किए जाने का प्रमाण उपलब्ध कराते हैं तब वह डिस्पेच के तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए भी लागू होगा।

(ग) व्यक्तिगत रूप से दी गई किसी सूचना अथवा डेलीग्राफ, फैक्स अथवा ई डी आई द्वारा भेजी गई किसी सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि इसे, इसके प्रेषण की तिथि को दे दिया गया है।

(घ) इनमें से कोई भी पक्षकार लिखित रूप में अन्य पक्षकार को दस (10) दिनों की सूचना देकर इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति के लिए अपने डाक, फैक्स अथवा ई डी आई पते में परिवर्तन कर सकता है।

2.13.2 सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि इसमें उपबंध के अंतर्गत दी जाने वाली अनुमोदन, सहमति, अनुदेश, आदेश और प्रमाण पत्र शामिल किया जायेगा।

2.14 कानून एवं इसके क्षेत्राधिकार को शासित करने वाली

इस उपबंध को संघ सरकार के कानूनों के अनुसार शासित किया जायेगा और इसकी व्याख्या की जायेगी तथा नई दिल्ली के न्यायालयों का इस उपबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

## ख. अनुबंध की विषय वस्तु

## 3. आपूर्ति का क्षेत्र

3.1 यदि तकनीकी विनिर्देशनों में स्पष्ट तौर पर अन्य प्रकार से संयुक्त न किया गया हो तब आपूर्तिकर्त्ता के दायित्व में सभी सामानों का प्रावधान और डिजाइन के लिए अपेक्षित सभी संबंधित सेवाओं का कार्य निष्पादन, सामानों का विनिर्माण (खरीद, गुणवत्ता आश्वासन और प्रदायगी सहित) तथा संस्थापना, चालू करने का पर्यवेक्षण और योजनाओं, कार्यविधियों, विनिर्देशनों, आरेखणों, संहिताओं और किसी अन्य दस्तावेजों, जिसका उल्लेख तकनीकी विनिर्देशनों में किया गया हो, के अनुसार सामानों के कार्य निष्पादन का परीक्षण शामिल होगा। ऐसे विनिर्देशनों में पर्यवेक्षण, इंजीनियरिंग सेवाओं, श्रमिक, सामग्री, उपकरण, स्पेयर पार्टस (जिसका उल्लेख नीचे दिए गए जी सी सी उपनियम 3.3 में किया गया है) और सहायक सामग्रियों; आपूर्तिकर्त्ता का उपकरण; अस्थाई सामग्रियों, ढांचाओं और सुविधाओं; ढुलाई (स्थल से और वहां पर बिना सीमा के अन लोडिंग और हॉलिंग शामिल हैं); और भंडारण का प्रावधान शामिल है परंतु यह वहीं तक सीमित नहीं रहेगा।

3.2 आपूर्तिकर्त्ता यदि उपबंध में विशेष रूप से उन मदों को बाहर न किया गया हो, ऐसे सभी कार्य और/ अथवा इस प्रकार के सभी मदों और सामग्रियों जिनका विशेष रूप से उल्लेख उपबंध में नहीं किया गया हो परंतु जिन्हें उचित रूप में सामानों और उससे संबंधित सेवाओं की पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने के रूप में समझा जा सके, मानो की इस प्रकार के कार्य और/ अथवा मदों और सामग्रियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख उपबंध में किया गया था, का निवर्हन करेगा।

3.3 अनिवार्य स्पेयर पार्टस, यदि कोई हो की आपूर्ति को उपबंध में शामिल किया जायेगा। उपरोक्त अनिवार्य स्पेयर पार्टस के अलावा आपूर्तिकर्त्ता इन सुविधाओं के पूरा होने की तिथि से 15 वर्षों की एक न्यूनतम अवधि के लिए क्रेता को इन सामानों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्पेयर पाटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आपूर्तिकर्त्ता इन सामानों के लिए उपभोग किए जाने योग्य स्पेयर्स की एक्स स्टॉक आपूर्ति सुनिचित करने के लिए पर्याप्त माल भंडार रखेंगे। यदि क्रेता द्वारा इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की गई तो आपूर्तिकर्त्ता क्रेता से अनुरोध के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसके विचारार्थ और

आदेश दिए जाने के लिए 6 महीने की वैधता अवधि के साथ क्रेता द्वारा पहचान की गई इस प्रकार के स्पेयर पाटर्स के लिए उसकी आपूर्ति से संबंधित विनिर्देशन कीमत और नियम एवं शर्तें प्रस्तुत करेंगे।

3.4 आपूर्तिकर्त्ता इस बात की गारंटी देंगे कि आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके उप ठेकेदार द्वारा स्पेयस पाटर्स के उत्पादन की समाप्ति की स्थिति में :

(i) आपूर्तिकर्त्ता अपेक्षित आवश्यकताओं की खरीद करने के लिए क्रेता को अनुमति देने के लिए 2 वर्षों के समय के साथ समापन के लंबित रहने तक क्रेता को अग्रिम अधिसूचना भेजेंगे और

(ii) इस प्रकार की समाप्ति के बाद, आपूर्तिकर्त्ता, यदि अनुरोध किया गया तो स्पेयर पाटर्स का ब्लू प्रिंट, आरेखण और विनिर्देशन क्रेता को बिना किसी लागत के प्रस्तुत करेंगे।

3.5 यदि आपूर्तिकर्त्ता ऊपर में निर्धारित शर्तों के अनुसार स्पेयर पाटर्स की आपूर्ति करने में असफल् होते हैं तब क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को भावी परियोजनाओं के लिए समय की उल्लिखित अवधि के लिए उन्हें अपात्र घोषित करते हुए अनुमोदन दे सकते हैं

## 4. वितरण कार्यक्रम

4.1 आपूर्तिकर्त्ता अंतिम गंतव्य स्थल तक इन सामानों को देना शुरू करेंगे और उपबंध करार के सदृश्य परिशिष्ट – 4 (वितरण कार्यक्रम) में उल्लिखित समय सीमा अथवा इस प्रकार से बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर जब तक आपूर्तिकर्त्ता इसके जी सी सी नियम 32 के अंतर्गत पात्र होंगे, के अनुसार अंतिम गंतव्य स्थल तक सामानों की प्रदायगी की पूर्णता प्राप्त करेंगे।

## 5. प्रदायक की जिम्मेदारियां

5.1 आपूर्तिकर्त्ता उपबंध के अनुसार पूरा ध्यान देते हुए तथा पूरे विचार विमर्श के बाद इन सामानों का डिजाइन बनाएंगे, इसका विनिर्माण करेंगे (इससे जुड़े खरीद और/ अथवा उप ठेका देने सहित) और इन सामानों की आपूर्ति करेंगे।

5.2 आपूर्तिकर्त्ता इस बात की पूर्ति करते है कि इन्होंने क्रेता द्वारा दी गई वस्तुओं के संबंध में इन आंकड़ों की उचित जांच के आधार पर और इस सूचना के आधार पर यह उपबंध किया है कि आपूर्तिकर्त्ता इस स्थल का वास्तविक निरीक्षण और बोली प्रस्तुत करने के अठाईस (28) दिन पूर्व की तिथि को इन वस्तुओं से संबंधित इसे आसानी से उपलब्ध अन्य

आंकड़ों से प्राप्त कर सकते थे। आपूर्तिकर्त्ता इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार के सभी आंकड़ों से अपने आप को अवगत कराने में असफल होने से इन सुविधाओं को सफलतापूर्वक कार्य निष्पादित करने में कठिनाइयों अथवा उससे लागत का सही रूप से आकलन करने के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

5.3 आपूर्तिकर्त्ता अपने नाम पर देश में सभी अनुमतियां, अनुमोदनों और/ अथवा लाइसेंस सभी स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के प्राधिकारियों अथवा लोक सेवा उपक्रमों जहां स्थल स्थित है, से प्राप्त करेंगे जो आपूर्तिकर्त्ता के और उप ठेकेदार के कार्मिकों के लिए और आपूर्तिकर्त्ता के आयात किए गए सभी उपकरणों के लिए प्रवेश अनुमति हेतू बिना किसी सीमा के बीजाओं सहित उपबंध के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो। आपूर्तिकर्त्ता अन्य सभी अनुमतियों, अनुमोदनों और/ अथवा लाइसेंसो जो इसकी जी सी सी उप नियम 6.1 के अंतर्गत क्रेता की जिम्मेदारी नहीं है और जो उपबंध के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो, प्राप्त करेंगे।

5.4 आपूर्तिकर्त्ता भारत में लागू सभी नियमों का पालन करेंगे। इन नियमों में सभी स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अन्य कानून शामिल होंगे जो उपबंध के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हो और यह आपूर्तिकर्त्ता पर बाध्यकारी होगा। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को उप ठेकेदारों और उनके कार्मिकों सहित आपूर्तिकर्त्ता और इसके कार्मिक द्वारा इस प्रकार के कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले अथवा इसके फलस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकृति की सभी देयताओं, क्षति, दावे, जुर्माना, दण्ड राशि और खर्च से सुरक्षित रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।

5.5 इस उपबंध के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सभी सामानों और संबंधित सेवाओं का मूल स्थान वहीं होगा जिसका उल्लेख जी सी सी उप नियम 2.12 (उत्पत्ति का देश) में किया गया है।

5.6 आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को आपूर्तिकर्त्ता के कार्य निष्पादन के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता के लेखाओं और रिकार्डों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

## 6. क्रेता की जिम्मेदारियां

6.1 क्रेता इस देश में सभी अनुमतियों, अनुमोदनों और/ अथवा लाइसेंस सभी स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के प्राधिकारियों अथवा लोक सेवा उपक्रमों जहां स्थल स्थित है, से प्राप्त करेंगे और उसके लिए भुगतान करेंगे। जहां इस प्रकार के प्राधिकारी अथवा उपक्रम क्रेता से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह क्रेता के नाम पर उन्हें प्राप्त करें जो इस उपबंध के कार्यान्वयनके लिए आवश्यक हों। (उनमें आपूर्तिकर्त्ता और क्रेता दोनों द्वारा कार्य

निष्पादन के लिए उपबंध के अंतर्गत अपने अलग अलग दायित्वों के लिए अपेक्षित हों, शामिल हैं)।

6.2 यदि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अनुरोध किया गया हो तब क्रेता सभी स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के प्राधिकारियों अथवा लोक सेवा उपक्रमों से उपबंध के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी अनुमति, अनुमोदन और/ अथवा लाइसेंस, जो ऐसे प्राधिकारी अथवा उपक्रमों के लिए आपूर्तिकर्त्ता अथवा उप ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्त्ता अथवा उप ठेकेदारों के कार्मिकों जैसा भी मामला हो, से प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो, समय पर और त्वरित रूप में प्राप्त करने में आपूर्तिकर्त्ता को सहायता देने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

6.3 इस जी सी सी नियम 6 के अंतर्गत दायित्वों के कार्य निष्पादन में निहित सभी लागत और खर्च क्रेता की जिम्मेदारी होगी।

## ग. भुगतान

## 7. अनुबंध की कीमत

7.1 अनुबंध की कीमत वही होगी जिसका उल्लेख अनुबंध करार के फार्म के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान के नियम) में किया गया है।

7.2 अनुबंध की कीमत अनुबंध करार के परिशिष्ट 2 (कीमत का समायोजन) के प्रावधानों के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। अनुबंध की कीमत जी सी सी के नियम 31 के अनुसार मात्रा में किसी परिवर्तन के कारण बढ़ाया अथवा घटाया जायेगा।

7.3 इसके जी सी सी उपनियम 5.2 के अध्यधीन, आपूर्तिकर्त्ता के संबंध में यह माना जायेगा कि उन्होंने अपने आप को अनुबंध की कीमत की सत्यता एवं पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है जो अनुबंध में अन्य प्रकार से किए गए प्रावधान को छोड़कर अनुबंध के अंतर्गत इसके सभी दायित्वों को शामिल करेगा।

## 8. भुगतान की शर्तें

8.1 अनुबंध की कीमत का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा जिसका उल्लेख अनुबंध करार के सदृश्य परिशिष्ट - 1 (भुगतान की शर्तें एवं कार्यविधि) में किया गया है। आवेदन करने और भुगतान करने के लिए प्रसंस्करण में अपनाई जाने वाली कार्यविधियां वही होंगी जिसका उल्लेख उस परिशिष्ट में किया गया है।

8.2 अनुबंध के अंतर्गत सभी भुगतान भारतीय रुपए में किए जायेंगे।

## 9. प्रतिभूति

9.1 प्रतिभूति जारी करना

आपूर्तिकर्त्ता नीचे दिए गए समय पर और राशि, तरीके से क्रेता के पक्ष में नीचे उल्लेख की गई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

9.2 अग्रिम भुगतान प्रतिभूति

9.2.1 आपूर्तिकर्त्ता अनुबंध के अवार्ड की अधिसूचना के अठाईस (28) दिनों के भीतर अनुबंध करार के सदृश्य परिशिष्ट 1 (भुगतान की शर्तें और कार्यविधियां) के अनुसार गणना की गई अग्रिम भुगतान के समतुल्य राशि और इन सुविधाओं के चालू होने की तिथि के नब्बे (90) दिनों तक प्रारंभिक वैधता के साथ उसी मुद्रा में एक प्रतिभूति प्रदान करेगा जिसमें अनुबंध के अंतर्गत सामानों की संस्थापना जी सी सी नियम 20 के अनुसार की जानी है। उसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इन सुविधाओं के चालू होने की वास्तविक तिथि जैसा कि अनुबंध के अंतर्गत अपेक्षित हो, से आगे नब्बे (90) दिनों तक समय समय पर बढ़ाया जायेगा।

9.2.2 यह प्रतिभूति खंड VI - नमूना फार्म और कार्यविधि में इसके साथ संलग्न बिना शर्त के बैंक गारंटी के रूप में होगी। इस सिक्योरिटी को इन सुविधाओं को सफलतापूर्वक चालू किए जाने अथवा उसके किसी संगत भाग को चालू किए जाने जिसमें अनुबंध के अंतर्गत सामानों को संस्थापित किया जाना है, के बाद निवर्हन किया जाएगा।

- अग्रिम भुगतान प्रतिभूति में प्रभावी कटौती के लिए कार्यविधि

अग्रिम भुगतान प्रतिभूति की अनुमति अनुबंध के अंतर्गत प्रथम रनिंग लेखा बिल/ चरण भुगतान के बाद प्रत्येक छः (06) महीने में घटाए जाने के लिए दी जायेगी यदि बैंक गारंटी की वैधता एक वर्ष से अधिक हो। किसी दिए गए समय में कटौती की संचयी राशि परियोजना प्रबंधक द्वारा जारी किए जाने वाले एक प्रमाणपत्र के अनुसार पूरी की गई आपूर्ति के संचयी मूल्य के समतुल्य अग्रिम राशि का पचहत्तर प्रतिशत (75%) से अधिक नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए अग्रिम बैंक गारंटी के मूल्य में कटौती से किसी भी प्रकार से आपूर्ति के संबंध में जिसके लिए प्रतिभूति के मूल्य में कटौती की अनुमित दी गई है, के संबंध में अनुबंध के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी एवं देयताएं कम नहीं होंगी।

9.3 कार्य निष्पादन प्रतिभूति

9.3.1 आपूर्तिकर्त्ता अवार्ड की अधिसूचना के अठाईस (28) दिनों के भीतर दोष देयता अवधि से नब्बे (90) दिन आगे तक की वैधता के साथ अनुबंध कीमत के दस प्रतिशत (10%) के समतुल्य राशि में अनुबंध के उचित कार्य निष्पादन के लिए एक कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा। उसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इन सुविधाओं के चालू होने की वास्तविक दोष देयता अवधि के आगे नब्बे (90) दिनों तक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा समय समय पर बढ़ाया जायेगा जिसकी अपेक्षा अनुबंध के अंतर्गत की जा सकती है।

आपूर्तिकर्त्ता के कार्य निष्पादन की प्रतिभूति के अलावा, आपूर्तिकर्त्ता से यह अपेक्षित होगा कि वह क्रेता के स्वीकार्य रूप में क्रेता के पक्ष में अवार्ड की अधिसूचना की अठाईस (28) दिनों के भीतर एस सी सी में किए गए उल्लेख के अनुसार अतिरिक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति की व्यवस्था करें।

9.3.2 कार्य निष्पादन प्रतिभूति खंड VI - नमूना फार्म और कार्यविधि में इसके साथ संलग्न बिना शर्त के बैंक गारंटी के रूप में होगी।

9.3.3 सामान और उससे संबंधित सेवाओं के किसी भाग के उपबंध की कीमत के अनुपात में प्रतिभूति में कटौती अनुमत्य नहीं होगी।

9.3.4 संयुक्त उद्यम को उपबंधित को अवार्ड किए जाने की स्थिति में, कार्य निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी और अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के नाम से प्रस्तुत की जायेगी।

9.4 जारी करने वाला बैंक

अग्रिम भुगतान प्रतिभूति और कार्य निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जानी है, जिसे निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जारी किया जाना चाहिए :

(क) भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा, अथवा

(ख) किसी अनुसूचित भारतीय बैंक जिसकी प्रदत्त् पूंजी (संचयी घाटे की निबल राशि) 1000 मिलियन रुपए अथवा उससे अधिक हो (बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षा के अनुपालन का समर्थन करना चाहिए) अथवा

(ग) भारत में स्थित विदेशी बैंक अथवा विदेशी बैंक की एक सहायक कंपनी जिसकी किसी प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी द्वारा ए- (ए-) से कम नहीं हो अथवा उसके समतुल्य दीर्घावधि ऋण की समग्र अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट रेटिंग हो, द्वारा।

## 10. कर और शुल्क

10.1 आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को अनुबंध की गई आपूर्ति को सुपुर्द किए जाने तक सभी करों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्क और इस प्रकार के अन्य शुल्क जो कानूनी रूप से भुगतान के योग्य हों/ खर्च किया गया हो, के भुगतान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

यदि इस प्रकार के करों और शुल्कों अथवा किसी अन्य लागू करों और शुल्कों के प्रति कटौती करने के लिए सांविधिक अपेक्षा हो, तब उसका भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा और उसके लिए एक प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्त्ता को जारी किया जाएगा।

10.2 आपूर्तिकर्त्ता उन करों जिन्हें आपूर्तिकर्त्ता के लोगों पर अथवा उनके किन्हीं कर्मचारियों के आय पर लगाया जा सके, के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और वे क्रेता को उन दावों जिसे क्रेता के विरुद्ध किया जाए, के प्रति क्रेता को क्षतिपूर्ति करेंगे और उसे क्षति से मुक्त रखेंगे। क्रेता भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके कार्मिकों के लिए करों के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यह आवश्यक हो तब स्रोत पर आयकर की कटौती क्रेता द्वारा की जायेगी।

10.3 क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच सीधे लेन देन के संबंध में ई एक्स डब्ल्यू कीमत में सामानों में शामिल किए गए अथवा शामिल किए जाने वाले उनके खपत के लिए उपयोग की गई संघटकों, कच्चे माल और किसी अन्य मदों पर भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य सभी लागत तथा शुल्क और कर (अर्थात सीमा शुल्क एवं लेवी, शुल्क, बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर आदि) शामिल हैं।

गंतव्य स्थल/ राज्य के लिए यथा लागू चुंगी/ प्रवेश कर सहित प्रत्यक्ष लेन देन के अंतर्गत सामानों के लिए बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर और अन्य लेवी को ई एक्स डब्ल्यू की कीमत में शामिल नहीं किया गया है। इन राशियों का भुगतान क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्त्ता और क्रेता के बीच लेन देन पर कर देयता तक सीमित आपूर्ति पर भुगतान योग्य (बाद में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके सहित) होगी। हालांकि क्रेता अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फार्म जारी करेंगे।

खरीदे गए तैयार मदों जिसे उप विक्रेता के निर्माणा स्थल से क्रेता के स्थल (संक्रमण में बिक्री) तक सीधे प्रेषित की जायेगी, के संबंध में ई एक्स डब्ल्यू की कीमत में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य सभी लागत तथा शुल्क और कर (सीमा शुल्क एवं लेवी, शुल्क, बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर आदि) शामिल है तथा इस प्रकार के अन्य कर, शुल्क, अतिरिक्त रूप से भुगतान योग्य लेवी आपूर्तिकर्त्ता के खाते में डाली जायेगी और इसके आधार पर कोई अलग दावा क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। हालांकि क्रेता अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फार्म जारी करेंगे।

इसके अलावा (i) 'स्टॉक के रूप में उपलब्ध (ऑफ द शेल्फ)' के रूप में पेशकश की गई आयात की गई वस्तु अथवा उसे भारतीय बंदरगाह पर उतारे जाने के स्थान से सीधे प्रेषित की गई वस्तु और/ अथवा (ii) 'स्टॉक के रूप में उपलब्ध (ऑफ द शेल्फ)' मदों के रूप में खरीदे गए तैयार सामान अथवा आपूर्तिकर्त्ता के निर्माण स्थल से सीधे प्रेषित किया गया सामान का ई एक्स डब्ल्यू कीमत में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य सभी लागतों और शुल्क और कर (अर्थात सीमा शुल्क एवं लेवी एवं शुल्क, बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर आदि) शामिल है और इस आधार पर कोई अलग दावा क्रेता द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। हालांकि क्रेता अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फार्म जारी करेंगे।

आपूर्तिकर्त्ता के निर्माण स्थल से सीधे किए गए प्रेषणों के संबंध में जहां भी लागू हो, बिक्री कर के भुगतान/ प्रतिपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ता बनाये गए बीजकों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा और मूल्यवर्धित कर के भुगतान/ प्रतिपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बनाए गए मूल्यवर्धित कर योग्य बीजकों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा। उसी प्रकार से पूर्व संख्या वाले बीजकों जिन पर अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया है, को उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए साक्ष्य के रूप में विचार किया जायेगा।

10.4 खरीदे गए तैयार मदों सहित आपूर्ति के सभी मदों जिन्हें उप विक्रेता के निर्माण स्थल से सीधे क्रेता के स्थल (संक्रमण में बिक्री सहित) पर भेजा जायेगा, पर गंतव्य स्थल/ राज्य के लिए यथा लागू चुंगी/ प्रवेश कर को अनुबंध की कीमत में शामिल नहीं किया गया है। आपूर्ति के सभी मदों के संबंध में लागू चुंगी/ प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यधीन क्रेता द्वारा पृथक रूप से आपूर्तिकर्त्ता को की जायेगी।

10.5 क्रेता सेवा कर मामले में किसी देयता का वहन नहीं करेगा। हालांकि क्रेता नियमानुसार स्रोत पर इस प्रकार के टेक्स की कटौती करेगा और आपूर्तिकर्त्ता को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

10.6 भारत में निष्पादित की जाने वाली सेवाओं के लिए बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत यथा लागू निर्माण अनुबंध पर बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर, कारोबार कर अथवा कोई अन्य समान करों को अनुबंध की कीमत में शामिल किया गया है और क्रेता इस आधार पर किसी देयता का वहन नहीं करेंगे। हालांकि क्रेता नियमानुसार स्रोत पर इस प्रकार के टेक्स की कटौती करेगा और आपूर्तिकर्त्ता को स्रोत पर कर की कटौती (टी डी एस) प्रमाण पत्र जारी करेगा।

10.7 अनुबंध के उद्देश्य, इस बात पर सहमति हुई है कि अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान के नियम) में उल्लिखित अनुबंध की कीमत बोली के प्रस्तुत किए

जाने की अंतिम तिथि से सात (07) दिन पूर्व की तिथि पर प्रचलित करों, शुल्को, लेवी और प्रभारों पर आधारित है (इसके बाद इसे इस जी सी सी उपनियम 10.7 में 'कर' कहा गया है)। यदि कर के किसी दरों को बढ़ाया अथवा घटाया जाता है तब एक नया कर लागू किया जाता है, एक मौजूदा कर को समाप्त किया जाता है अथवा अनुबंध के कार्य निष्पादन के क्रम में व्याख्या में कोई परिवर्तन अथवा किसी कर को लागू किया जाता है जिसे अनुबंध के कार्य निष्पादन के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता पर आकलित किया गया था अथवा आकलित किया जायेगा, अनुबंध की कीमत का एक न्यायोचित समायोजन किया जायेगा ताकि इसके जी सी सी नियम 29 (कानून एवं विनियमों में परिवर्तन) के अनुसार अनुबंधन की कीमत में योग कर अथवा उसमें से कटौती कर, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार के परिवर्तन पर पूर्ण रूप से विचार किया जा सके। हालांकि, इन समायोजनों को क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच सीधे लेन देन जिसके लिए अनुबंध के अनुसार क्रेता द्वारा कर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य हैं, तक सीमित होगी। ये समायोजन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कच्चे मालों, मध्यवर्ती संघटकों आदि की खरीद पर लागू नहीं होंगे और इसके साथ ही उप विक्रेता के निर्माण स्थल से सीधे स्थल तक भेजी गई खरीदी गई मदों पर भी लागू नहीं होंगे।

कच्चे माल, मध्यवर्ती संघटकों आदि तथा खरीदे गए मदों के संबंध में, न तो क्रेता और न ही आपूर्तिकर्त्ता अनुबंध के कार्य निष्पादन के क्रम में कर के दर में वृद्धि अथवा कमी, नए कर को लागू किए जाने अथवा किसी मौजूदा कर समाप्त किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी दावे का हकदार होगा।

## घ. बौद्धिक सम्पदा

## 11. कॉपी राइट

11.1 इसमें आपूर्तिकर्त्ता द्वारा क्रेता को प्रस्तुत किए गए आंकड़े और सूचना वाली सभी आरेखणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों में कॉपी राइट आपूर्तिकर्त्ता के पास रहेगा अथवा यदि उन्हें क्रेता को सीधे अथवा किसी तीसरे पक्षकार द्वारा आपूर्तिकर्त्ता के माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति सहित प्रस्तुत की जाती है, तब इस प्रकार की सामग्रियों में कॉपी राइट ऐसे तृतीय पक्षकार के पास रहेगी।

हालांकि क्रेता प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध के उद्देश्य से क्रेता को प्रस्तुत किए गए सभी आरेखणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्री को फिर से प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11.2 इसमें क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को प्रस्तुत किए गए आंकड़े और सूचना वाली सभी आरेखणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों में कॉपी राइट क्रेता के पास रहेंगे।

## 12. गोपनीय सूचना

12.1 क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता अनुबंध के संबंध में इसके अन्य पक्षकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की गई किसी दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना को गोपनीय रखेगा तथा किसी तृतीय पक्षकार को इसके अन्य पक्ष की लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा चाहे इस प्रकार की सूचना अनुबंध के समाप्त होने के पहले, उसके दौरान अथवा उसके बाद प्रस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त के होते हुए भी आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना जो इसे क्रेता से प्राप्त होती हो, इसके उप ठेकेदार को अनुबंध के अंतर्गत इसके कार्य का निर्वहन करने के लिए उप ठेकेदार के लिए अपेक्षित सीमा तक प्रस्तुत कर सकता है, जिस स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के उप ठेकेदार से इस जी सी सी नियम 12 के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता पर लगाये गये के समतुल्य गोपनीयता की वचनबद्धता प्राप्त करेगा।

12.2 क्रेता आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त इस प्रकार के दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना का उपयोग ऐसे किसी प्रयोजन से जो अनुबंध से संबंधित नहीं हो, उपयोग नहीं करेगा। उसी प्रकार से आपूर्तिकर्त्ता क्रेता से प्राप्त इस प्रकार के दस्तावेजों, आंकड़ों और अन्य सूचना का उपयोग ऐसे किसी प्रयोजन से जो अनुबंध से संबंधित नहीं हो, उपयोग नहीं करेगा।

12.3 हालांकि उपर्युक्त जी सी सी उपनियम 12.1 और 12.2 के अंतर्गत किसी पक्षकार का दायित्व उस सूचना पर लागू नही होगा जो –

(क) उस पक्षकार के बिना किसी दोष के इस समय अथवा इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में आता हो

(ख) उस पक्षकार द्वारा प्रकटन के समय उसके पास होने के बारे में सिद्ध किया जा सकता है और जिसे पूर्व में इसके अन्य पक्षकार से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया गया था।

(ग) किसी तृतीय पक्षकार जिसके पास गोपनीयता का कोई दायित्व नहीं है, से उस पक्षकार को अन्य प्रकार से कानूनी रूप में उपलब्ध होता हो।

12.4 इस जी सी सी नियम 12 के उपर्युक्त प्रावधान इन सुविधाओं अथवा उनके किसी भाग के संबंध में इस अनुबंध की तिथि के पूर्व इसके पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा दी गई गोपनीयता की वचनबद्धता में किसी प्रकार से संशोधन नहीं करेगा।

12.5 इस जी सी सी नियम 12 के प्रावधान अनुबंध के समाप्त होने के बाद भी चाहे कारण जो भी हो, बने रहेंगे।

## ङ. अनुबंध का निष्पादन

## 13. प्रतिनिधि

13.1 यदि परियोजना प्रबंधक का नाम इस अनुबंध में न हो, तब प्रभावी तिथि के चौदह (14) दिनों के भीतर, क्रेता परियोजना प्रबंधक के नाम को लिखित रूप में आपूर्तिकर्त्ता को नियुक्त और अधिसूचित करेगा। क्रेता समय समय पर परियोजना प्रबंधक के रूप में कुछ अन्य व्यक्ति को इस प्रकार से पूर्व में नियुक्त किए गए व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त करेगा और बिना किसी विलंब के आपूर्तिकर्त्ता को इस प्रकार के अन्य व्यक्ति के नाम का नोटिस देगा। क्रेता यह देखने के लिए उचित सावधानी बरतेगा कि इस प्रकार की कोई नियुक्ति किसी ऐसे समय अथवा किसी ऐसे रूप में न किया जाये, जिससे इन सुविधाओं पर कार्य की प्रगति में अवरोध पैदा हो। परियोजना प्रबंधक इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान सभी समय में क्रेता का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके लिए कार्य करेगा। अनुबंध के अंतर्गत सभी सूचनाएं, अनुदेशों, आदेशों, प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों और अन्य सभी पत्राचारों को परियोजना प्रबंधक द्वारा अन्य प्रकार से इसमें किए गए प्रावधानों को छोड़कर दिया जायेगा।

इस अनुबंध के अंतर्गत क्रेता को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, अनुदेशों, आदेशों, प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों और अन्य सभी पत्राचारों को परियोजना प्रबंधक को अन्य प्रकार से इसमें किए गए प्रावधानों को छोड़कर दिया जायेगा।

13.2 आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि

13.2.1 यदि आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि के नाम का उल्लेख अनुबंध में न हो तब प्रभावी तिथि के चौदह (14) दिनों के भीतर आपूर्तिकर्त्ता आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगा और लिखित रूप में क्रेता से अनुरोध करेगा कि वह इस प्रकार से नियुक्त किए गए व्यक्ति का अनुमोदन करें। यदि क्रेता चौदह (14) दिनों के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करता हो, तब आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि के संबंध में यह माना जायेगा कि उसने इसका अनुमोदन कर दिया है। यदि क्रेता चौदह (14) दिनों के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में कारण देते हुए आपत्ति करता है, तब आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार की आपत्ति के चौदह (14) दिनों के भीतर एक प्रतिस्थानापन्न की नियुक्ति करेगा और इस जी सी सी का उप–नियम 13.2.1 का पूर्ववर्ति प्रावधान उस पर लागू होगा।

13.2.2 आपूर्तिकर्त्ता का प्रतिनिधि इस अनुबंध के लागू रहने के दौरान सभी समयों में आपूर्तिकर्त्ता का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके लिए कार्य करेगा तथा इस अनुबंध के अंतर्गत

परियोजना प्रबंधक को आपूर्तिकर्त्ता की सभी सूचनाएं, अनुदेशों, सूचना और अन्य सभी पत्राचार देगा। इस अनुबंध के अंतर्गत क्रेता अथवा परियोजना प्रबंधक द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, अनुदेश, सूचना और अन्य सभी पत्राचार आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि को इसमें अथवा उसकी अनुपस्थिति में इसके उप प्रतिनिधि अन्य प्रकार से किए गए प्रावधान को छोड़कर, को देगा। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि की नियुक्ति को रद्द नहीं करेगा, जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जायेगा। यदि क्रेता उसके संबंध में अपनी सहमति देता है तब आपूर्तिकर्त्ता जी सी सी उप नियम 13.2.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

13.2.3 आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि क्रेता के अनुमोदन के अध्यधीन (जिसे अनुचित रूप से नहीं रोका जायेगा) किसी भी समय उनमें निहित किसी शक्तियों, कर्तव्यों अथवा अधिकारों को किसी व्यक्ति को दे सकता है। इस प्रकार के किसी प्रत्यायोजन को किसी समय समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी प्रत्यायोजन अथवा रद्द करना आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किसी पूर्व सूचना के अध्यधीन होगी और इसमें उसके द्वारा प्रत्यायोजित अथवा समाप्त की गई शक्तियों, कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख होगा। जब तक इस प्रकार के प्रत्यायोजन अथवा उसे रद्द करने की सूचना की एक प्रति क्रेता और परियोजना प्रबंधक को नहीं दी गई हो, तब तक वह लागू नहीं होगा। इस जी सी सी उप नियम 13.2.3 के अनुसार उन्हें इस प्रकार से दी गई शक्तियों, कार्यों और अधिकारों का किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किये जाने को आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि द्वारा उपयोग किया हुआ माना जायेगा।

13.2.3.1 उपर्युक्त जी सी सी उप नियम 13.1 और 13.2.1 उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी अनुबंध के कार्यान्वयन के उद्देश्य से क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता अनुबंध समन्वय कार्यविधि को अंतिम रूप देगा और उसके संबंध में अपनी सहमति देगा तथा इस अनुबंध के अंतर्गत सभी पत्राचार इस प्रकार के अनुबंध समन्वय कार्यविधि के अनुसार किया जायेगा।

13.2.4 चालू होने तक स्थल पर सामानों के संस्थापना के शुरू होने से, आपूर्तिकर्त्ता का प्रतिनिधि सामानों के संस्थापन और प्रचालन के पर्यवेक्षण के लिए सभी तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति करेगा। पर्यवेक्षण संबंधी कार्मिक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उस स्थल पर किए गए सभी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और इस अनुबंध के उचित कार्य निष्पादन से जुड़े कारणों के लिए अवकाश पर, बीमार होने पर, अथवा अनुपस्थित होने पर को छोड़कर संपूर्ण सामान्य कार्य घंटों में इस स्थल पर उपस्थित रहेगा। जब कभी कोई पर्यवेक्षण संबंधी कार्मिक इस स्थल से अनुपस्थित हो तब एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति उनके रूप में अथवा उनके उप के रूप में कार्य करने के लिए की जाएगी।

13.2.5 क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को सूचना देते हुए इस अनुबंध के कार्यान्वयन में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नियोजित किसी प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति जो क्रेता के उचित मत से अनुपयुक्त रूप से व्यवहार करता हो, अक्षम अथवा लापरवाह को अथवा जी सी सी नियम 18.3 के अंतर्गत प्रदान की गई स्थल विनियमनों का गंभीर उल्लंघन करता हो, को सूचना दे सकता है, के संबंध में आपत्ति कर सकता है। क्रेता उसका साक्ष्य उपलब्ध करायेगा, जिस पर आपूर्तिकर्त्ता ऐसे व्यक्तियों को इन सुविधाओं से हटायेगा।

13.2.6 यदि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति को जी सी सी उप नियम 13.2.5 के अनुसार हटाया जाता हो, जहां भी आवश्यकता पड़े आपूर्तिकर्त्ता तत्काल उसके प्रतिस्थानापन्न की नियुक्ति करेगा।

## 14. कार्य से संबंधित कार्यक्रम

14.1 आपूर्तिकर्त्ता का संगठन

आपूर्तिकर्त्ता क्रेता और परियोजना प्रबंधक को एक तालिका की आपूर्ति करेगा, जिसमें आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किये जाने के लिए स्थापित की जाने वाले प्रस्तावित संगठन को दर्शाया गया हो। इस तालिका में प्रभावी तिथि के इक्कीस (21) दिनों के भीतर नियुक्त किए जाने वाले इस प्रकार के प्रमुख कार्मिकों का जीवन वृत्त के साथ साथ प्रमुख कार्मिकों की पहचान शामिल रहेगी। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता तथा परियोजना प्रबंधक को तत्काल लिखित रूप में इस प्रकार के एक संगठन तालिका में किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के बारे में सूचना देगा।

14.2 कार्य निष्पादन का कार्यक्रम

अवार्ड की अधिसूचना की तिथि के बाद अठाइस (28) दिनों के भीतर, आपूर्तिकर्त्ता क्रिटिकल पाथ मेथद (सी पी एम), पी ई आर टी नेटवर्क, अन्य अंतर्राट्रीय स्तर पर उपयोग किए गए कार्यक्रमों के रूप में अनुबंध (L2 नेटवर्क) का कार्य निष्पादन का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगा और परियोजना मैनेजर को प्रस्तुत करेगा जिसमें वह क्रम दर्शाया गया हो, जिसमें इसका प्रस्ताव समानों का डिजाइन बनाने, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, दुकान का निरीक्षण, परीक्षण, ढुलाई तथा उस तिथि जब तक आपूर्तिकर्त्ता उचित रूप से यह अपेक्षा करते हों कि क्रेता ने इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा कर लिया होगा, का प्रस्ताव करता हो जिससे की वह आपूर्तिकर्त्ता को इस कार्यक्रम के अनुसार अनुबंध को कार्यान्वयन करने में तथा इस अनुबंध के अनुसार समान एवं उससे संबंधित सेवाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो सके। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इस प्रकार से प्रस्तुत कार्यक्रम अनुबंध करार में दिए गए परिशिष्ट - 4 (प्रदायगी कार्यक्रम) में शामिल किए गए प्रदायगी कार्यक्रम तथा इस अनुबंध में उल्लेख की

गई किसी अन्य तिथियों और अवधियों के अनुरूप होगा। आपूर्तिकर्त्ता जब कभी उपयुक्त समझे और जब भी परियोजना प्रबंधक द्वारा यह अपेक्षित हो, इस कार्यक्रम को अद्यतन और उसमें संशोधन जी सी सी के नियम 4 के अतंर्गत प्रदायगी कार्यक्रम तथा जी सी सी नियम 32 के अनुसार दिये गये समय विस्तार में बिना किसी संशोधन के करेगा और इस प्रकार के सभी संशोधनों को परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा।

14.3 प्रगति रिपोर्ट

आपूर्तिकर्त्ता उपर्युक्त जी सी सी उप नियम 14.2 में संदर्भित कार्यक्रम में उल्लेख किए गए सभी क्रियाकलापों की प्रगति की मॉनीटरिंग करेगा और प्रत्येक माह परियोजना प्रबंधक को प्रगति रिपोर्ट की आपूर्ति करेगा।

प्रगति रिपोर्ट उस रूप में होगी जो परियोजना प्रबंधक को स्वीकार्य हो और इसमें : (क) प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए योजनाबद्ध प्रतिशत पूर्णता की तुलना में प्राप्त की गई प्रतिशत पूर्णता और (ख) जहां कोई क्रियाकलाप कार्यक्रम से पीछे चल रहा हो, उस स्थिति में टिप्पणियां तथा उसके संभावित परिणामों का उल्लेख करते हुए तथा की गई सुधारात्मक कार्यवाही का उल्लेख करते हुए इन तथ्यों को दर्शाया जायेगा।

14.4 कार्य निष्पादन की प्रगति

यदि किसी दिए गए समय में आपूर्तिकर्त्ता की वास्तविक प्रगति जी सी सी उप नियम 14.2 में संदर्भित कार्यक्रम से पीछे पड़ता हो अथवा यह स्पष्ट हो जाता हो कि यह कार्यक्रम से पीछे ही चलेगा तब आपूर्तिकर्त्ता क्रेता अथवा परियोजना प्रबंधक के अनुरोध पर वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए एक संशोधित कार्यक्रम तैयार करेगा और परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा तथा प्रगति में तीव्रता लाने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में परियोजना प्रबंधक को अधिसूचित करेगा जिससे की जी सी सी उप नियम 4 के अंतर्गत प्रदायगी कार्यक्रम, जी सी सी उप नियम 32.1 के अंतर्गत पात्र उसके किसी समय विस्तार अथवा किसी बढ़ाई गई अवधि जिस पर अन्य प्रकार से क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच सहमति बनी हो, के भीतर सामानों की सुपुदर्गी का कार्य पूरा किया जा सके।

14.5 कार्य संबंधी प्रक्रिया

इस अनुबंध को अनुबंध संबंधी दस्तावेजों के नमूने फार्म और कार्यविधियों पर उस खंड में दिये गये अनुबंध संबंधी दस्तावेजों और कार्यविधियों के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा।

आपूर्तिकर्त्ता उस सीमा तक अपने निजी मानक परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं और कार्यविधियों के अनुसार इस अनुबंध को कार्यान्वित कर सकता है जिस सीमा तक वे इस अनुबंध में निहित प्रावधानों के विरुद्ध न हों।

## 15. उप अनुबंध

15.1 अनुबंध संबंधी करार के सदृश्य परिशिष्ट (अनुमोदित उप ठेकेदारों की सूची) में आपूर्ति अथवा सेवाओं की प्रमुख मदों और विक्रेताओं सहित प्रत्येक मद के सामने अनुमोदित उप ठेकेदारों की सूची का उल्लेख है। जहां तक इस प्रकार के किसी मद के सामने किसी उप ठेकेदार की सूची नहीं हो, वहां आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार की सूची में शामिल किए जाने के लिए इस प्रकार के मद के लिए उप ठेकेदारों की एक सूची तैयार करेगा। उप ठेकेदार समय समय इस प्रकार की किसी सूची में वृद्धि अथवा इनमें से कुछ नामों को हटाने का प्रस्ताव कर सकता है। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को उपयुक्त समय देते हुए उसके अनुमोदन के लिए इस प्रकार की किसी सूची अथवा इसमें किसी संशोधन को प्रस्तुत कर सकता है, जिससे की सामानों के संबंध में कार्य की प्रगति में अवरोध उत्पन्न न हो। उप ठेकेदारों में से किसी उप ठेकेदार के लिए क्रेता द्वारा इस प्रकार के अनुमोदन से इस अनुबंध के अंतर्गत इसके किसी दायित्व, कर्तव्य अथवा जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जायेगा।

15.2 आपूर्तिकर्त्ता जी सी सी उप नियम 15.1 में संदर्भित सूचियों में सूचीबद्ध इस प्रकार के प्रमुख मदों के लिए इसके उप ठेकेदारों का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है।

15.3 उपबंध संबंधी करार में सदृश्य परिशिष्ट (अनुमोदित उप ठेकेदारों की सूची) में उल्लेख न किए गए सामानों के भागों अथवा मदों के लिए आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के उप ठेकेदारों जिसे यह अपने विवेक से चयन कर सके, की नियुक्ति कर सकता है।

## 16. डिजाइन और इंजीनियरिंग

16.1 विनिर्देशन एवं आरेखण

16.1.1 आपूर्तिकर्त्ता इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अथवा जहां उसका इस प्रकार से उल्लेख न किया गया हो, अच्छी इंजीनियरिंग प्रथा के अनुसार मौलिक और विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्य कार्यान्वित कर सकता है।

आपूर्तिकर्त्ता उन विनिर्देशनों, आरेखणों और अन्य तकनीकी दस्तावेजों जिसे इसने तैयार किया है, चाहे इस प्रकार का विनिर्देशन, आरेखण और अन्य दस्तावेजों का अनुमोदन परियोजना प्रबंधक द्वारा किया गया हो अथवा नहीं, में किसी प्रकार की त्रुटियों, गलतियों अथवा चूक के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते की इस प्रकार की त्रुटियां, गलतियां

अथवा चूक क्रेता द्वारा अथवा उसकी ओर से आपूर्तिकर्त्ता को लिखित रूप में प्रस्तुत की गई गलत सूचना के कारण न हुई हो।

16.1.2 आपूर्तिकर्त्ता को परियोजना प्रबंधक को इस प्रकार की अस्वीकारोक्ति की सूचना देकर प्रबंधक द्वारा दी गई अथवा उसके द्वारा डिजाइन की गई अथवा उसकी ओर से डिजाइन किए गए किसी डिजाइन, आंकड़ों, आरेखण, विनिर्देशन अथवा अन्य दस्तावेत अथवा उसके किसी संशोधन के लिए जिम्मेदारी को अस्वीकार करने का हक रहेगा।

16.2 संहिता और मानक

जहां कहीं भी इस अनुबंध में संहिताओं और मानकों के बारे में कोई पत्र लिखा जाता है जिसके अनुसार इस अनुबंध को कार्यान्वित किया जायेगा, बोली प्रस्तुत करने की तिथि से अठाइस (28) दिन पूर्व की तिथि को लागू इस प्रकार की संहिताओं और मानकों का संस्करण अथवा संशोधित भाग लागू होगा, तब तक की इसमें अन्य प्रकार से कोई उल्लेख न किया गया हो। अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान इस प्रकार की संहिताओं और मानकों में किसी प्रकार का परिवर्तन क्रेता द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात लागू होगा और इसे जी सी सी नियम 31 के अनुसार माना जायेगा।

16.3 परियोजना प्रबंधक द्वारा तकनीकी दस्तावेजों का अनुमोदन/ समीक्षा

16.3.1 आपूर्तिकर्त्ता जी सी सी उप नियम 14.2 (कार्य निष्पादन का कार्यक्रम) की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें किए गए उल्लेख के अनुसार परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन अथवा समीक्षा के लिए इस अनुबंध करार के परिशिष्ट 6 (अनुमोदन अथवा समीक्षा के लिए दस्तावेजों की सूची) में सूचीबद्ध दस्तावेजों को तैयार करेगा (अथवा अपने उप ठेकेदारों से इसे तैयार करवायेगा) और प्रस्तुत करेगा।

परियोजना प्रबंधक द्वारा अनुमोदन किए जाने वाले इन दस्तावेजों से संबंधित या इनके द्वारा शामिल किए गए सामानों के किसी भाग का कार्यान्वयन परियोजना प्रबंधक द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के बाद ही किया जायेगा।

16.3.7 के माध्यम से जी सी सी उप नियम 16.3.2 केवल उन्हीं दस्तावेजों पर लागू होगा, जिसके लिए परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन की आवश्यकता हो परंतु उन पर यह लागू नहीं होगा जिन्हें परियोजना प्रबंधक को केवल इनकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

16.3.2 जी सी सी उप नियम 16.3.1 के अनुसार ऐसे किसी दस्तावेज जिसके लिए परियोजना प्रबंधन का अनुमोदन आवश्यक हो, का परियोजना प्रबंधक द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद

इक्कीस (21) दिनों के भीतर, परियोजना प्रबंधक या तो उसकी एक प्रति आपूर्तिकर्त्ता को उस पर अपने अनुमोदन के साथ वापस करेगा अथवा उसे आपूर्तिकर्त्ता को उसका अनुमोदन न किए जाने के बारे में लिखित रूप से सूचना देगा और साथ ही साथ उसमें उन कारणों का उल्लेख होगा तथा उन संशोधनों का उल्लेख होगा, जिसे परियोजना प्रबंधक प्रस्ताव करता हो।

16.3.3 परियोजना प्रबंधक केवल इस आधार को छोड़कर किसी दस्तावेज को अस्वीकार कर सकता है कि इस प्रकार का दस्तावेज इस अनुबंध के कुछ निर्दिष्ट प्रावधान का पालन नहीं करता है और यह भी की कि यह अच्छी इंजीनियरिंग प्रथा के अनुकूल है।

16.3.4 यदि परियोजना प्रबंधक उस दस्तावेज को अस्वीकार करता है तब आपूर्तिकर्त्ता उस दस्तावेज में संशोधन करेगा और जी सी सी उप नियम 16.3.2 के अनुसार परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन के लिए इसे फिर से प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रबंधक इन संशोधनों के अध्यधीन उस दस्तावेज का अनुमोदन करता है तब आपूर्तिकर्त्ता अपेक्षित संशोधन करेगा और अपेक्षित संशोधन के साथ उसे फिर से प्रस्तुत किए जाने के बाद दस्तावेज के संबंध में यह माना जायेगा कि इसका अनुमोदन कर दिया गया है।

आपूर्तिकर्त्ता इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने और परियोजना प्रबंधक द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने के लिए कार्यविधि पर चर्चा और उस अंतिम रूप आपूर्तिकर्त्ता के साथ दिया जायेगा।

16.3.5 यदि कोई विवाद अथवा अंतर क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच किसी दस्तावेज और/ अथवा उसके किसी संशोधन के संबंध में परियोजना प्रबंधक द्वारा अस्वीकार्य किए जाने के कारण उत्पन्न होता हो तब उसका निपटान एक उचित समय अवधि के भीतर इन पक्षकारों के बीच किया जा सकता है और तब इस प्रकार का निपटान अथवा अंतर इसके जी सी सी उप नियम 36 के अनुसार निर्धारण के लिए किसी मध्यस्थ को भेजा सकता है। यदि इस प्रकार का विवाद अथवा अंतर किसी मध्यस्थ को भेजा जाता है तब परियोजना प्रबंधक यह अनुदेश देगा कि क्या अथवा यदि हां तो किस प्रकार से इस अनुबंध का कार्य निष्पादन आगे बढ़ेगा। आपूर्तिकर्त्ता परियोजना प्रबंधक के अनुदेशों के अनुसार इस अनुबंध को आगे बढ़ायेंगे बशर्ते की यदि मध्यस्थ इस विवाद के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता के दृष्टिकोण को उचित ठहराते हैं और यदि क्रेता ने इसके जी सी सी उप नियम 36 के अंतर्गत सूचना नहीं दी है तब आपूर्तिकर्त्ता को क्रेता द्वारा इस प्रकार के अनुदेशों के कारण हुए किसी अतिरिक्त लागतों की प्रतिपूर्ति की जायेगी और उसे इस विवाद तथा अनुदेशों के कार्यान्वयन, जिसके बारे में मध्यस्थ निर्णय लेगा, के संबंध में इस प्रकार की जिम्मेदारी अथवा देयता से मुक्त किया जायेगा और तदनुसार प्रदायगी कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

16.3.6 आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ अथवा उसमें संशोधन किए गए बिना परियोजना प्रबंधक के अनुमोदन से आपूर्तिकर्त्ता उस सीमा तक को छोड़कर जो परियोजना प्रबंधक द्वारा अपेक्षित संशोधनों से बाद में किसी असफलता से उत्पन्न होता हो, इस अनुबंध के किसी प्रावधानों द्वारा इस पर लगाये गये किसी जिम्मेदारी अथवा देयता से मुक्त नहीं होगा।

16.3.7 यदि आपूर्तिकर्त्ता ने परियोजना प्रबंधक को कोई संशोधित दस्तावेज पहले प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा इस जी सी सी उप नियम 16.3 के प्रावधानों के अनुसरण में परियोजना प्रबंधक का उसके संबंध में अनुमोदन प्राप्त नहीं किया हो, तब आपूर्तिकर्त्ता किसी अनुमोदित दस्तावेज से अलग नहीं होगा। यदि परियोजना प्रबंधक पूर्व में किसी अनुमोदित दस्तावेजों में किसी परिवर्तन अथवा उसके आधार पर किसी दस्तावेज में परिवर्तन का अनुरोध करता हो, तब जी सी सी नियम 31 के प्रावधान इस प्रकार के अनुरोध पर लागू होंगे।

## 17. सामान और उससे संबंधित सेवाएं

17.1 जी सी सी उप नियम 10.2 के अध्यधीन, आपूर्तिकर्त्ता सभी सामानों को शीघ्रता से और व्यवस्थित रूप में निर्माण करेगा और खरीद करेगा और उसे स्थल पर पहुंचायेगा।

17.2 ढुलाई

17.2.1 आपूर्तिकर्त्ता अपने जोखिम पर और अपने खर्च पर सभी सामानों की ढुलाई कर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से स्थल तक पहुंचायेगा जिसे आपूर्तिकर्त्ता सभी परिस्थितियों में सबसे अधिक उपयुक्त समझता हो।

17.2.2 यदि इस उपबंध में अन्य प्रकार से प्रावधान नहीं किया गया हो, तब आपूर्तिकर्त्ता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इन सामानों की ढुलाई करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित परिवहन के किसी सुरक्षित माध्यम का चयन करे।

17.2.3 प्रत्येक शिपमेंट के प्रेषित किए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को टेलेक्स, फैक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण (ई डी आई) के द्वारा इन सामानों के विवरण, प्रेषण का स्थान एवं माध्यम और अनुमानित समय तथा इस देश में पहुंचने का स्थान जहां यह स्थल स्थित हो और यदि लागू हो तो उस स्थान के बारे में सूचना देगा। आपूर्तिकर्त्ता इन पक्षकारों के बीच आपस में बनी हुई सहमति पर संगत शिपिंग दस्तावेजों के साथ क्रेता को प्रस्तुत करेगा।

17.2.4 आपूर्तिकर्त्ता आवश्यकता पड़ने पर उस स्थल तक सामानों की ढुलाई के लिए प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को इस प्रकार के अनुमोदनों, यदि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो, को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए समय पर और शीघ्रता से अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को सड़कों, पुलों अथवा किसी अन्य यातायात सुविधाओं जिससे स्थल तक इन सामानों की ढुलाई की जाने वाली हो, से होने वाली क्षति के लिए किसी दावे के प्रति तथा उससे सुरक्षित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

17.3 प्रदायगी और दस्तावेज

17.3.1 प्रदायगी संबंधी दस्तावेज

शिपमेंट के बाद, आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को इस उपबंध के करारों के सदृश्य परिशिष्ट 1 (भुगतान के नियम और कार्यविधि) में उल्लेख किए गए अनुसार प्रेषण के संपूर्ण ब्यौरे के साथ सूचना देगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

17.3.2 पैकिंग

17.3.2.1 आपूर्तिकर्त्ता सामानों की इस प्रकार से पैकिंग करेगा जो इस अनुबंध में दर्शाये गये अनुसार उनके अंतिम गंतव्य स्थल तक ट्रांजिट के दौरान उनके क्षतिग्रस्त होने अथवा उनकी गुणवत्ता में गिरावट आने से रोकने के लिए अपेक्षित हो। यह पैकिंग ट्रांजिट के दौरान बिना किसी सीमा के असावधानीपूर्वक हैंडलिंग और ट्रांजिट एवं खुले भंडार के दौरान अत्यधिक तापक्रम, नमक और उष्मता से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। जहां भी उपयुक्त समझा जायेगा पैकिंग के आकार और वजन, सामानों के अंतिम गंतव्य स्थल तक की दूरी और ट्रांजिट में सभी स्थानों पर हैवी हैंडलिंग सुविधाओं के न होने पर विचार किया जायेगा।

17.3.2.2 पैकेज के भीतर और उसके बाहर पैकिंग, मार्किंग और दस्तावेजीकरण का पालन कठोरता से इस प्रकार की विशेष अपेक्षाओं के साथ किया जायेगा, जिसका इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जायेगा और जो इस अनुबंध की अपेक्षाओं के अनुरूप क्रेता द्वारा आदेश दिए गए किसी बाद के अनुदेशों के अध्यधीन होगा।

## 18. स्थापना का पर्यवेक्षण

18.1 आपूर्तिकर्त्ता इन सामानों की संस्थापना के दौरान सभी आवश्यक पर्यवेक्षण उपलब्ध करायेगा और पर्यवेक्षण संबंधित कार्मिक अथवा इसके उप सतत रूप से स्थल पर इस संस्थापना का पूर्णकालिक अधीक्षण प्रदान करने के लिए रहेगा। आपूर्तिकर्त्ता केवल उन्हीं तकनीकी कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा और उसकी नियुक्ति करेगा जो अपने अलग अलग

क्षेत्रों में कुशल और अनुभवी हों तथा पर्यवेक्षण संबंधी स्टाफ जो दिए गए कार्य का समुचित रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए सक्षम हों।

## 19. परीक्षण और निरीक्षण

19.1 आपूर्तिकर्त्ता अपने निजी खर्च पर निर्माण के स्थान पर और/ अथवा इस प्रकार के सभी स्थानों पर सामानों और उससे संबंधित सेवाओं जिसका उल्लेख इस अनुबंध में किया गया है, का परीक्षण/ या निरीक्षण करेगा।

19.2 क्रेता और परियोजना प्रबंधक अथवा उसके नामित प्रतिनिधियों को उपर्युक्त परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त होगा बशर्ते की क्रेता सभी यात्रा संबंधी और ठहरने आदि के खर्चों सहित इस प्रकार के उपस्थित रहने के संबंध में होने वाले अन्य खर्चों और लागतों का वहन करेगा।

19.3 जब कभी आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण करने के लिए तैयार हो, तब आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण तथा स्थान एवं समय आदि के बारे में परियोजना प्रबंधक को चार सप्ताह की अग्रिम सूचना देगा। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता और परियोजना प्रबंधक (अथवा उनके नामित प्रतिनिधियों को) उस परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में उपस्थिति होने में सक्षम बनाने के लिए किसी संगत तृतीय पक्ष अथवा विनिर्माता से आवश्यक अनुमति अथवा सहमति प्राप्त करेगा। जी सी सी उप नियम 19.3 के अध्यधीन यदि परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण आपूर्तिकर्त्ता अथवा इसके उप ठेकेदार के परिसरों में किया जाना हो तब आरेखणों और उत्पादन संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करने सहित सभी उचित सुविधाएं और सहायता क्रेता से बिना किसी प्रभार के वसूल किए निरीक्षकों को प्रस्तुत की जायेगी।

19.4 आपूर्तिकर्त्ता परियोजना प्रबंधक को इस प्रकार के किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण के परिणामों की एक सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

यदि क्रेता अथवा परियोजना प्रबंधक (या उनके नामित प्रतिनिधि) उस परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में उपस्थित होने में असफल होता है अथवा यदि इस पर उन पक्षकारों के बीच सहमति बनती है कि इस प्रकार के व्यक्ति वैसा नहीं करेंगे, तब आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के व्यक्तियों की अनुपस्थिति में परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा और परियोजना प्रबंधक को उसके परिणामों की एक सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

19.5 परियोजना प्रबंधक आपूर्तिकर्त्ता से यदि अपेक्षा कर सकते हैं कि वह इस अनुबंध द्वारा अपेक्षा न की गई किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण को करे बशर्ते की आपूर्तिकर्त्ता का

उचित लागत और खर्च जो इस प्रकार के परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण को करने में किया गया हो, को अनुबंध की कीमत में जोड़ा जायेगा। इसके अलावा, यदि इस प्रकार के परीक्षण/ निरीक्षण से सामानों के कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती हो और/ अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत इसके अन्य दायित्वों का आपूर्तिकर्त्ता के कार्य निष्पादन में अवरोध पैदा होता हो, तब प्रदायगी कार्यक्रम तथा इस प्रकार से प्रतिकूल रूप में प्रभावित अन्य दायित्वों के संबंध में उचित अनुमति दी जायेगी।

19.6 क्रेता किसी सामान अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकते हैं, जो किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण में सफल न हुआ हो अथवा जो विनिर्देशनों के अनुरूप न हो। आपूर्तिकर्त्ता या तो इस प्रकार से अस्वीकार किए गए सामानों अथवा उसके भाग को ठीक कर सकेगा अथवा उसे बदल सकेगा और क्रेता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करेगा और जी सी सी उप नियम 19.3 के अंतर्गत सूचना देने के बाद फिर से परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण करेगा।

19.7 यदि इन सामानों अथवा उसके किसी भाग के परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण के संबंध में अथवा उससे उत्पन्न होने वाले इन पक्षकारों के बीच किसी विवाद अथवा मत में अंतर होने पर उसका निपटारा उन पक्षकारों के बीच एक उचित समय अवधि के भीतर किया जा सकता है और इसे जी सी सी उप नियम 36 के अनुसार निर्धारण के लिए किसी मध्यस्थ को भेजा जा सकता है।

19.8 आपूर्तिकर्त्ता क्रेता और परियोजना प्रबंधक को क्रेता के खर्च पर किसी उचित समय अवधि में किसी स्थान तक भेज सकता है जहां इन सामानों का निर्माण किया जा रहा है ताकि निर्माण की प्रगति और तरीके का निरीक्षण किया जा सके बशर्ते की परियोजना प्रबंधक आपूर्तिकर्त्ता को एक उचित पूर्व सूचना देगा।

19.9 आपूर्तिकर्त्ता इस बात पर सहमत है कि सामानों का अथवा उसके किसी भाग का न तो किसी परीक्षण और/ अथवा निरीक्षण का कार्यान्वयन और न ही परियोजना परियोजना प्रबंधक अथवा क्रेता द्वारा वहां उपस्थित होना और न ही जी सी सी उप नियम 19.4 के अनुसरण में किसी परीक्षण प्रमाण पत्र को जारी करने से आपूर्तिकर्त्ता इस अनुबंध के अंतर्गत किसी अन्य जिम्मेदारी से मुक्त हो पायेगा।

## 20. समापन

20.1 जैसे ही सामानों की प्रदायगी और उससे संबंधी सेवाओं का कार्य निष्पादन आपूर्तिकर्त्ता के विचार से तकनीकी विनिर्देशनों में किए गए उल्लेख के अनुसार पूरा कर लिया गया है, आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के सामानों की गुणवत्ता और कार्य निष्पादन के लिए वचनबद्धता के साथ साथ इस प्रकार से क्रेता को लिखित रूप में सूचना देगा। निरीक्षण / भौतिक

सत्यापन्न के बाद क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को खामियों और/ अथवा कमियों, यदि कोई हो के बारे में सूचना देगा। आपूर्तिकर्त्ता किसी प्रकार की खामी अथवा किसी क्षति अथवा कमियों को मरम्मत, प्रतिस्थापन्न अथवा ठीक करेगा और इस प्रकार से क्रेता को लिखित रूप में सूचना देगा। क्रेता निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन के पश्चात आपूर्तिकर्त्ता को उस स्थिति का सत्यापन करते हुए सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र (एम आर सी) के रूप में एक सामग्री स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेगा जब इन सामानों की आपूर्ति पूरी कर ली गयी है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार के प्रमाण पत्र से आपूर्तिकर्त्ता अपने किसी दायित्व को अन्य प्रकार से ऐसे प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के बाद अनुबंध के नियम एवं शर्तों से बने रहेंगे, से मुक्त नहीं होंगे।

20.2 जहां तक उचित रूप से संभव हो, नीचे दिए गए जी सी सी नियम 20.3 में में दर्शायी गई प्रत्याशित अवधि के भीतर, एक ठेकेदार के माध्यम से क्रेता इस प्रकार से आपूर्ति किए गए सामानों का उपयोग संस्थापना, समय से पूर्व चालू करने और इन सुविधाओं को चालू करने के लिए करेगा। उन अनुबंधों के मामले में जहां परिवेक्षण की शर्त रखी गयी है, सामानों की संस्थापना, उसे समय से पूर्व चालू करने और चालू करने का कार्य आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि यथा अनुमत्य स्टार्टअप, प्रारंभिक प्रचालन, जांच प्रचालन और कार्य निष्पादन परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके लिए आवश्यक श्रम एवं सुविधाओं को क्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि, सभी अस्थाई इंस्टूमेन्टेंशन, माप करने संबंधी उपकरण, विशेष औजार और टेकल आदि यदि कोई हो, जिसकी अपेक्षा इस अनुबंध के अंतर्गत इन कार्यों को करने के लिए किया गया है, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

20.2.1 इन चरणों के दौरान, यदि परियोजना प्रबंधक आपूर्तिकर्त्ता को किसी दोष और/ अथवा कमियों के बारे में सूचना देता है तब आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के खामियों और/ अथवा कमियों को ठीक करेगा और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तब क्रेता इस प्रकार के कार्य को पूरा करेगा और आपूर्तिकर्त्ता के किसी राशि में से उस लागत की कटौती करेगा।

20.3 इन सुविधाओं की समय से पूर्व अनुमानित रूप से चालू करना/ चालू करने के कार्यक्रम जिसमें इस अनुबंध के अंतर्गत सामानों की संस्थापना की जानी है, एस सी सी में दर्शाया गया है। क्रेता/ ठेकेदार द्वारा इन सुविधाओं को प्रत्याशित समय से पूर्व चालू करने/ चालू करने की समय सीमा के भीतर किन्हीं ऐसे कारणों से जिसके लिए आपूर्तिकर्त्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इन सुविधाओं को समय से पूर्व चालू करने/ चालू करने में असफल होने की स्थिति में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

क) कार्य निष्पादन प्रतिभूति और इन परिस्थितियों से संगत किसी अन्य प्रतिभूतियों को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा समय समय जो क्रेता द्वारा अपेक्षित हो, नीचे दिए अनुसार बढ़ाया जायेगा :

(i) प्रारंभिक अवधि जिसके लिए जी सी सी नियम 9.3.1 के अनुसार कार्य निष्पादन संबंधी प्रतिभूतियों को अन्य प्रकार से वैद्य रखा जाना है, से आगे की 6 महीने की अवधि तक

(ii) उपर्युक्त पैरा (i) में उल्लेख की गई अवधि जिसके लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बैंकरों को भुगतान योग्य किसी खर्चे की प्रतिपूर्ति दस्तावेज संबंधी साक्ष्य के विरुद्ध क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को की जायेगी, से आगे से 12 महीने की अवधि

(iii) उपर्युक्त पैरा (ii) में उल्लेख की गई अवधि से आगे क्रेताऔर विक्रेता के बीच आपस में सहमति बनी अवधि तक जिसके न होने पर सामानों के संबंध में यह माना जायेगा कि इसे क्रेता द्वारा उपर्युक्त पैरा (ii) में उल्लेख की गई अवधि के समाप्त होने और आपस में बनी हुई सहमति की अवधि यदि कोई हो, के बाद की अवधि में ली जानी है और इस पैरा के अनुसार तथा जी सी सी नियम 22 के अनुसार दोष देयता अवधि को उसे लेने की मान्य अवधि की तिथि से शासित की जायेगी। इस पैरा के अंतर्गत समय विस्तार, यदि कोई हो के प्रति आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उसके लिए भुगतान योग्य खर्चे की प्रतिपूर्ति आपूर्तिकर्त्ता को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर क्रेता द्वारा दी जायेगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति का समय विस्तार दिए जाने के बावजूद, इन सुविधाओं को ऊपर में उल्लेख किए गए विस्तारित अवधि के भीतर समय से पूर्व चालू करने/ चालू करने की स्थिति में, इन प्रतिभूतियों की वैधता अवधि जी सी सी नियम 9.3.1 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

ख) आपूर्ति एवं पर्यवेक्षण अनुबंधों के मामले में, अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट 1 में उल्लेख किए गए प्रावधानों (भुगतान के नियम एवं कार्यविधियों) के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता को देय भुगतान, जो सामान्य परिस्थितियों में संबद्ध क्रियाकलापों के पूरा न होने के कारण भुगतान किए जाने योग्य नहीं हुआ होता, को क्रेता को स्वीकार्य समतुल्य राशि की एक बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति को प्रस्तुत किए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता को जारी की जायेगी और जो उस स्थिति में गैर कानूनी हो जायेगा, जब इन सुविधाओं को चालू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिभूति के प्रति व्यय की प्रतिपूर्ति आपूर्तिकर्त्ता को क्रेता द्वारा किया जायेगा।

20.4 अधिग्रहित करना

20.4.1 इन सुविधाओं को सफलतापूर्वक चालू किए जाने के बाद परियोजना प्रबंधक इन सामानों को अंतिम रूप से स्वीकार्य किए जाने के एक प्रमाण के रूप में अधिग्रहण प्रमाण पत्र इक्कीस (21) दिनों के भीतर जारी करेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्त्ता को उनके किसी दायित्वों, जो इस प्रकार के प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के बाद अनुबंध के नियम एवं शर्तों के द्वारा अन्य प्रकार से बना रहता, से मुक्त नहीं करेगा।

20.4.2 यदि इन सुविधाओं को चालू किए जाने के बाद इक्कीस (21) दिनों के भीतर परियोजना प्रबंधक अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाता है अथवा आपूर्तिकर्त्ता को न्यायोचित कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचना नहीं देता है कि क्यों परियोजना प्रबंधक ने अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, तब सामानों अथवा उसके किसी संगत भाग के संबंध में यह माना जायेगा कि उसे इन सुविधाओं को चालू किए जाने की तिथि को स्वीकार कर लिया गया है।

## च. गारंटी एवं देयताएं

### 21. समापन समय की गारंटी

21.1 आपूर्तिकर्त्ता इस बात की गारंटी देता है कि यह जी सी सी नियम 4 के अनुसरण में एस सी सी में दिए गए समय अथवा इस प्रकार से बढ़ाये गए समय जिसके लिए आपूर्तिकर्त्ता इसके जी सी सी नियम 31 के अंतर्गत हकदार होगा, के भीतर अंतिम गंतव्य स्थल पर इन सामानों की प्रदायगी (अथवा उसके किसी हिस्से जिसके लिए एस सी सी एक अलग समय कार्यक्रम का उल्लेख किया गया हो), प्राप्त करेगा।

21.2 यदि आपूर्तिकर्त्ता समग्र सामानों के लिए (अथवा उसके किसी हिस्से जिसके लिए एक अलग समय कार्यक्रम पर सहमति बनी हो), के लिए नियम जी सी सी 21 के अनुसार प्रदायगी समय कार्यक्रम का अनुपालन करने में असफल होता हो, तब आपूर्तिकर्त्ता सुपुर्द न किए गए सामानों अथवा सेवाओं की अनुबंध कीमत का आधा प्रतिशत (0.5%) के समतुल्य राशि क्रेता को इस प्रकार की चूक के लिए और न की दण्ड राशि के रूप में परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में संविदा की कीमत के दस प्रतिशत (10%) की सीमा के अध्यधीन वास्तविक सुपुदर्गी अथवा कार्य निष्पादन के समय तक विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिए इस अनुबंध के अंतर्गत क्रेता के अन्य उपायों के संबंध में बिना पूर्वाग्रह के भुगतान करेगा। क्रेता वसूली के किसी अन्य तरीके के संबंध में पूर्वाग्रह के बिना आपूर्तिकर्त्ता को देय अथवा देय होने वाली किसी धनराशि से इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान अथवा कटौती

से आपूर्तिकर्त्ता इन कार्यों को पूरा करने के अपने दायित्व अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायत्वों और देयताओं में से किसी अन्य से मुक्त नहीं होगा।

यद्यपि, प्रदायगी समय कार्यक्रम का उल्लेख परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाने के उद्देश्य से मासिक आधार पर किया गया है फिर भी सुपुदर्गी में विलंब में विचार तिमाही आधार पर किया जाएगा और इस तिमाही की गणना प्रेषण के प्रथम महीने से की जाएगी।

21.3 इन सामानों की सुपुदर्गी को पूर्व में पूरा किए जाने के लिए कोई बोनस नहीं दिया जाएगा।

## 22. दोष संबंधी देयताएं

22.1 दोष संबंधी देयता अवधि इन सुविधाओं, जिसमें इन अनुबंध के अंतर्गत सामानों को संस्थापित किया गया है के चालू होने की तिथि से बारह (12) महीने की एक अवधि के लिए वैध रहेगी।

22.2 आपूर्तिकर्त्ता इस बात की वारंटी देता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति किए गए सभी समान इस अनुबंध का कठोरता से पालन करेगा, प्रत्येक विशिष्टता में प्रथम श्रेणी का होगा और यह खामियों से मुक्त होगा। इसके अलावा, आपूर्तिकर्त्ता इस बात की वारंटी देता है कि इन सामानों के उद्देश्य से आपूर्तिकर्त्ता अथवा इसके उप ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी उपक्रम, सामग्री और आपूर्ति नए हैं और सबसे उपयुक्त श्रेणी की सामग्री है और जिस उद्देश्य से उन्हें बनाया गया है, उसके लिए वे उपयुक्त हैं। इसके अलावा, आपूर्तिकर्त्ता यह वारंटी देता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सेवाएं सामान्य तौर पर स्वीकार्य व्यवसायिक मानदंडों और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के अनुरूप होंगे।

22.3 जी सी सी उप नियम 22.2 के अध्यधीन, आपूर्तिकर्त्ता आगे इस बात की वारंटी देता है कि ये सामान अंतिम गंतव्य स्थल के देश में प्रचलित स्थितियों में सामान्य उपयोग के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता के किसी कार्य अथवा चूक अथवा डिजाइन, सामग्री और कारिगरी से उत्पन्न होने वाले खामियों से मुक्त होगा।

22.4 क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को इस बात का उल्लेख करते हुए सूचना देगा कि उसके सभी उपलब्ध साक्ष्य के साथ साथ इस प्रकार के किसी दोष की प्रकृति क्या है और वह उसका पता लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगा। क्रेता इस प्रकार के खामियों का निरीक्षण करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता के लिए पर्याप्त उचित अवसर प्रदान करेगा।

22.5 इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के बाद आपूर्तिकर्त्ता क्रेता से कोई लागत लिए बिना 30 दिनों के भीतर दोषपूर्ण सामानों अथवा उसके किसी हिस्से की शीघ्रता से मरम्मत करेगा

अथवा उसे बदल देगा। आपूर्तिकर्त्ता उनके बदले जाने के समय बदले गए भागों/ सामानों को प्राप्त करेगा। बाद में बदले गए भागों/ सामानों के लिए किसी प्रकार का कोई दावा क्रेता पर नहीं होगा।

दोष संबंधी देयता अवधि के दौरान इन खामियों में किसी सुधार अथवा दोषपूर्ण सामानों को बदले जाने की स्थिति में, ठीक किए गए/ बदले गए सामानों के लिए दोष संबंधी देयता अवधि को आगे के 12 महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

22.6 यदि इसे अधिसूचित कर दिया गया हो तब उसके बाद आपूर्तिकर्त्ता 30 दिनों के भीतर इस खामी को दूर करने में असफल होता है तब क्रेता आपूर्तिकर्त्ता के जोखिम और खर्च पर तथा बिना किसी अन्य अधिकारों जो क्रेता का इस अनुबंध के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध हो सकता है, के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के एक उचित समयावधि में इस प्रकार के सुधारात्मक कार्यवाही जिसे आवश्यक समझा जाए कर सकता है।

22.7 दोष संबंधी देयता अवधि के समाप्त होने पर आपूर्तिकर्त्ता की देयता प्रछन्न (छुपा हुआ) को छोड़कर समाप्त हो जाता है। प्रछन्न खामियों की वारंटी के लिए आपूर्तिकर्त्ता की देयता दोष संबंधी देयता अवधि के समाप्त होने के दस (10) वर्षों की अवधि तक सीमित रहेगी। इस नियम के उद्देश्य प्रछन्न खामियों वे खामियों होंगी जो डिजाइन की कमी के कारण उत्पन्न हुआ हो अथवा सामग्री में निहित हो जो जी सी सी नियम 22 में परिभाषित दोष संबंधी देयता अवधि के दौरान प्रकट नहीं हुआ हो बल्कि यह बाद में प्रकट हुआ हो।

## 23. उपकरण कार्य निष्पादन गारंटी

23.1 आपूर्तिकर्त्ता इस बात की गारंटी देता है कि एस सी सी में नामित समान अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट – 7 (गैर कार्य निष्पादन के लिए गारंटी, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति) में उल्लेख की गई रेटिंग और कार्य निष्पादन संबंधी अपेक्षाओं को उनमें उल्लेख किए गए शर्तों के अध्यधीन और उसे पूरा कर लिए जाने के पश्चात प्राप्त करेगा।

23.2 यदि अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट – 7 (गैर कार्य निष्पादन के लिए गारंटी, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति) में उल्लेख किए गए गारंटियों को सिद्ध नहीं किया जा सके तब क्रेता या तो क्रेता के विवेक से निम्नलिखित में से कोई एक करेगा।

(क) इन सामानों को अस्वीकार कर देगा, अथवा

(ख) आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध एस सी सी में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का आकलन करने के बाद इन सामानों को स्वीकार करेगा और इस प्रकार

की राशि की कटौती अनुबंध की कीमत से की जायेगी अथवा आपूर्तिकर्त्ता से किसी अन्य तरीके से वसूला जायेगा।

23.3 यदि क्रेता इन सामानों को अस्वीकार करने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करता है तब आपूर्तिकर्त्ता अपनी लागत और खर्च पर इन सामानों अथवा इसके किसी भाग में जिसे आवश्यक समझा जाए, उल्लिखित गारंटियों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का बदलाव, संशोधन और/ अथवा किसी तथ्यों को जोड़ेगा। आपूर्तिकर्त्ता आवश्यक परिवर्तनों, संशोधनों और/ अथवा इसमें किसी प्रकार के योग को पूरा करने पर क्रेता को सूचना देगा और तब तक इस परीक्षण को दोहराने के लिए क्रेता से अनुरोध करेगा, जब तक कि उल्लेख की गई गारंटी के स्तर को पूरा नहीं कर लिया गया हो।

23.4 जब कभी क्रेता परिसमाप्त क्षति को लगाये जाने के बाद इन सामानों को स्वीकार करने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करता हो, एस सी सी में उल्लेख किए गए देयता की सीमाओं तक जी सी सी उप नियम 23.2 के अंतर्गत परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का भुगतान जी सी सी उप नियम 23.2 के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता के गारंटियों को पूर्ण रूप से पूरा करेगा और आपूर्तिकर्त्ता के पास उसके संबंध में क्रेता को आगे किसी प्रकार की देयता नहीं होगी।

## 24. पेटेंट क्षतिपूर्ति

24.1 आपूर्तिकर्त्ता जी सी सी उप नियम 24.2 के साथ क्रेता के अनुपालन के अध्यधीन क्रेता और इसके कर्मचारियों और अधिकारियों को अटॉर्नी के फीस और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति के किसी अथवा सभी वादों, कार्यवाहियों और प्रशासनिक कार्यवाहियों, दावों, मांगों, घाटे, क्षति, लागत और खर्च जिसका नुकसान क्रेता को किसी पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, पंजीकृत डिजाइन, ट्रेड मार्क, कॉपी राइट और अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार जो पंजीकृत हो अथवा निम्नलिखित कारणों से संविदा की तिथि को अन्य प्रकार से लागू हो, के उल्लंधन अथवा कथित उल्लंघन के फलस्वरूप नुकसान होता हो, : (क) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की संस्थापना और उस देश में सामानों के उपयोग जहां वह स्थल शिथिल हो, (ख) किसी देश में इन सामानों द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों की बिक्री के कारण से होने वाली क्षति के विरुद्ध और उससे क्षति रहित रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

इस प्रकार की क्षतिपूर्ति में संविदा के आशय से अथवा उसके द्वारा दर्शाये गये प्रयोजन को छोड़कर इन सामानों अथवा इसके किसी भाग का कोई उपयोग अथवा ऐसे किसी उत्पादों जिसका उत्पादन किया गया हो, का इस अनुबंध संबंधी कारार के अनुसरण में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति न किए गए किसी अन्य उपकरण, संयंत्र अथवा सामग्री के सहयोग से अथवा उसे मिलाकर इन सामानों का उपयोग शामिल होगा।

24.2 यदि जी सी सी उपनियम 24.1 में संदर्भित मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई दावा क्रेता के विरुद्ध किया जाता हो अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती हो, तब क्रेता तत्परता से आपूर्तिकर्त्ता को इसकी सूचना देगा और आपूर्तिकर्त्ता अपने स्वयं के खर्च अथवा क्रेता के नाम से इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावे का निपटारा करने के लिए किसी प्रकार की सुलह और इस प्रकार की कार्यवाही अथवा दावे को आयोजित करेगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार की सूचना जिसका उद्देश्य इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावा करने के लिए हो, के प्राप्त होने के बाद अठाइस (28) दिनों के भीतर क्रेता को सूचना नहीं दे पाता हो तब क्रेता अपने स्वयं के बल पर उसे करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता अठाइस (28) दिनों की अवधि के भीतर क्रेता को इस प्रकार से अधिसूचित करने में असफल हो गया हो, तब क्रेता इस प्रकार के किसी कार्यवाहियों अथवा दावे के बचाव में इस प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति नहीं करेगा, जो इसके विरुद्ध हो सके।

क्रेता आपूर्तिकर्त्ता के अनुरोध पर इस प्रकार की कार्यवाहियों अथवा दावा आयोजित करने में आपूर्तिकर्त्ता को सभी प्रकार की उपलब्ध सहायता प्रदान करेगा और ऐसा करने में हुए सभी उचित खर्चों के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

24.3 क्रेता आपूर्तिकर्त्ता और इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और उप ठेकेदारों को अटॉर्नी के फीस और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति के किसी अथवा सभी वादों, कार्यवाहियों और प्रशासनिक कार्यवाहियों, दावों, मांगों, घाटे, क्षति, लागत और खर्चों जिसका नुकसान क्रेता को किसी पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, पंजीकृत डिजाइन, ट्रेड मार्क, कॉपी राइट और अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार जो पंजीकृत हो अथवा अनुबंध की तिथि को लागू हो, का क्रेता की ओर से अथवा उसके द्वारा बनाए गए अथवा दिए गए किसी डिजाइन, आंकड़ों, आरेखण, विनिर्देशन अथवा अन्य दस्तावेजों या सामग्रियों के संबंध में अथवा उसके कारण उत्पन्न होने वाली क्षति से बचाए रखेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

## 25. देयता की सीमा

25.1 पूर्णरूप से लापरवाही अथवा जानबूझकर गलत आचरण के मामलों को छोड़कर,

(क) आपूर्तिकर्त्ता और क्रेता किसी अप्रत्यक्ष अथवा परिणामी घाटे अथवा क्षति, प्रयोग की हानि, उत्पादन का घाटा अथवा लाभ या ब्याज की लागतों की हानि के लिए एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते की यह वर्हिगमन क्रेता को परिसमाप्त क्षति का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता के किसी दायित्व पर लागू नहीं होगा और

(ख) आपूर्तिकर्त्ता का क्रेता के प्रति समग्र देयता चाहे इस अनुबंध के अंतर्गत दलाली के रूप में अथवा अन्य प्रकार से हो, अनुबंध की कुल कीमत से अधिक नहीं होगी, बशर्ते की यह सीमा पेटेंट के उल्लंघन के संबंध में क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता के किसी दायित्व अथवा दोषपूर्ण सामानों को मरम्मत करने अथवा उसे बदलने की लागत पर लागू नहीं होगा।

## छ. जोखिम वितरण

## 26. स्वामित्व का हस्तांतरण

26.1 भारत में आयात किए जाने वाले सामानों का स्वामित्व क्रेता को उत्पत्ति के देश से उस देश तक सामानों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के माध्यम से उसे लोड करने पर अथवा क्रेता के पक्ष में प्रेषण संबंधी दस्तावेजों की संपुष्टि करने पर हस्तांतरित किया जाएगा।

26.2 भारत में खरीदे गए सामानों का स्वामित्व निर्माण स्थल से लेकर उस स्थल तक इन सामानों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के माध्यम से उस पर लोड करने पर और क्रेता के पक्ष में प्रेषण संबंधी दस्तावेजों की संपुष्टि किए जाने पर क्रेता को हस्तांतरित किया जाएगा।

26.3 इस अनुबंध के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता और इसके उप ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए गए आपूर्तिकर्त्ता के उपकरण का स्वामित्व आपूर्तिकर्त्ता अथवा इसके उप ठेकेदारों के पास रहेगा।

26.4 इन सामानों का स्वामित्व के हस्तांतरण किए जाने के बावजूद, आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के सामानों की गुणवत्ता और कार्य निष्पादन के लिए तथा इस अनुबंध के अंतर्गत उसे ग्रहण करने तथा वारंटी संबंधी दायित्वों को पूरा करने के समय तक उनके द्वारा विनिर्देशनों का अनुपालन किए जाने के लिए जिम्मेदार होना जारी रहेगा। स्वामित्व के हस्तांतरण से आपूर्तिकर्त्ता को जी सी सी 28 (बीमा) के अंतर्गत उल्लेख किए गए अनुसार इन सामानों की हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

## 27. संपत्ति की हानि या नुकसान, कामगार के साथ दुर्घटना या चोट, क्षतिपूर्ति

27.1 आपूर्तिकर्त्ता क्रेता और इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों को क्रेता अथवा इसके उप ठेकेदारों अथवा उनके कर्मचारियों, अधिकारियों या एजेंटों की क्रेता, इसके ठेकेदारों, कर्मचारियों, अधिकारियों अथवा एजेंटों की लापरवाही के कारण हुई किसी क्षति, मृत्यु अथवा सम्पत्ति के नुकसान को छोड़ने के कारण से और इन सामानों की आपूर्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी सम्पत्ति की हानि अथवा उसे क्षति या किसी व्यक्ति की मृत्यु

अथवा उसे चोट (उन सुविधाओं को छोड़कर चाहे उन्हें स्वीकार किया गया हो अथवा नहीं) के संबंध में एटॉनी के फीस और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति के किसी अथवा सभी वादों, कार्यवाहियों अथवा प्रशासनिक कार्यवाहियों, दावों, मांगों, हानि, क्षति, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा और उसे इनसे सुरक्षित रखेगा।

27.2 यदि क्रेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है अथवा कोई दावा किया जाता है जिससे जी सी सी उपनियम 27.1 के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता पर कोई देयता बनती हो, तब क्रेता तत्परता से आपूर्तिकर्त्ता को इसकी सूचना देगा और आपूर्तिकर्त्ता अपने स्वयं के खर्च अथवा क्रेता के नाम से इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावे का निपटारा करने के लिए किसी प्रकार की सुलह और इस प्रकार की कार्यवाही करेगा अथवा दावा करेगा।

यदि आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार की सूचना जिसका उद्देश्य इस प्रकार की किसी कार्यवाही अथवा दावा करने के लिए हो, के प्राप्त होने के बाद अठाइस (28) दिनों के भीतर क्रेता को सूचना नहीं दे पाता हो तब क्रेता अपने स्वयं के बल पर उसे करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता अठाइस (28) दिनों की अवधि के भीतर क्रेता को इस प्रकार से अधिसूचित करने में असफल हो गया हो, तब क्रेता इस प्रकार की कार्यवाहियों अथवा दावे के बचाव में इस प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति नहीं करेगा, जो इसके विरुद्ध हो सके।

क्रेता आपूर्तिकर्त्ता के अनुरोध पर इस प्रकार की कार्यवाहियों अथवा दावा आयोजित करने में आपूर्तिकर्त्ता को सभी प्रकार की उपलब्ध सहायता प्रदान करेगा और ऐसा करने में हुए सभी उचित खर्चों के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

27.3 इस अनुबंध में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस पर सहमति बनी हो कि न तो आपूर्तिकर्त्ता न ही क्रेता अन्य पक्षकार को उत्पादन में हानि, लाभ में हानि, उपयोग की हानि अथवा किसी अन्य अप्रत्यक्ष या परिणामी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

## 28. बीमा

28.1 अनुबंध संबंधी करार के सदृश्य परिशिष्ट - 3 (बीमा संबंधी आवश्यकताओं) में उल्लिखित सीमा तक, आपूर्तिकर्त्ता अपने खर्च पर इस अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान उक्त परिशिष्ट में उल्लेख की गई राशि और उसमें घटाए जाने वाली राशि के साथ तथा अन्य शर्तों के साथ नीचे दी गई बीमाओं को करेगा और वास्तव में उसे बनाए रखेगा अथवा उसे करवायेगा या वास्तव में बनाए रखवायेगा। बीमाकर्त्ताओं की पहचान और इन नीतियों का रूप क्रेता के अनुमोदन के अध्यधीन होगा जिसे इस प्रकार के अनुमोदन को अनुचित रूप से रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए।

(**क**) समुद्री कार्गो नीति/ संक्रमण बीमा नीति

(I) (i) आयात किए गए उपकरण के लिए समुद्री कार्गो नीति

आपूर्तिकर्त्ता विदेश से आपूर्ति किए जाने वाले सामानों के लिए समुद्री कार्गो नीति बनाएगा जिसमें देश में संक्रमण सहित निर्यात/ आयात इन सामानों की आवा-जाही के लिए शामिल है। इस नीति में निर्माता के कार्य स्थल से लेकर परियोजना के अंतिम गंतव्य स्थल स्थित भंडार गृह/ गोदाम तक इन सामानों की आवा-जावी शामिल होगी। इस नीति में क्षति अथवा हानि, जो इन सामानों के आपूर्तिकर्त्ता के/ उप आपूर्तिकर्त्ता के निर्माण स्थल अथवा भंडारों के संक्रमण के दौरान होता हो, से लेकर अंतिम गंतव्य स्थल स्थित परियोजना के भंडार गृह/ गोदाम तक पहुंचने तक के सभी जोखिम शामिल होंगे। इस बीमा के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित खतरों में आग और उससे संबद्ध जोखिमों, विविध दुर्घटनाओं, कामगार क्षतिपूर्ति जोखिमों, संक्रमण में हानि अथवा क्षति, चोरी, उठाईगिरी, दंगे और हड़ताल, विद्वेषपूर्ण क्षति, नागरिक उपद्रव, मौसम की स्थितियां, सभी प्रकार की घटनाएं, युद्ध संबंधी जोखिम (जहां तक बीमा के योग्य हो) आदि शामिल होगी। युद्ध एवं हड़ताल, उपद्रव तथा नागरिक उपद्रव (एस आर सी सी) के साथ साथ संस्थान कार्गो नियम (आई सी सी) कवर 'क' लिया जायेगा।

(I) (ii) स्वदेशी उपकरण के लिए संकमण बीमा नीति

उसी प्रकार से संक्रमण बीमा नीति ली जायेगी जिसमें भारत में से आपूर्ति किए गए सामानों की आवा-जाही के लिए केवल अंतरदेशीय संक्रमण शामिल है। इस नीति में निर्माता के कार्य स्थल से अंतिम गंतव्य स्थल पर स्थित परियोजना के भंडार गृह तक इन सामानों की आवा-जाही शामिल होगी। इस बीमा के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित खतरों में आग और उससे संबद्ध जोखिमों, विविध दुर्घटनाओं, कामगार क्षतिपूर्ति जोखिमों, संक्रमण में हानि अथवा क्षति, चोरी, उठाईगिरी, दंगे और हड़ताल, विद्वेषपूर्ण क्षति, नागरिक उपद्रव, मौसम की स्थितियां, सभी प्रकार की घटनाएं, युद्ध संबंधी जोखिम (जहां तक बीमा के योग्य हो) आदि शामिल होगी। युद्ध एवं हड़ताल, दंगे के साथ साथ अंतरदेशीय संक्रमण नियम एवं नागरिक उपद्रव (एस आर सी सी) विस्तार कवर लिया जायेगा।

(II) यदि इस अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान, क्रेता उपर्युक्त बीमा में कोई अन्य अतिरिक्त कवर पब्लिक पूरक कवर लेने के लिए आपूर्तिकर्त्ता से अनुरोध करता है तब आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के अतिरिक्त कवर/ पूरक

कवर तथा अन्य प्रभार तत्परता से लेगा और इस प्रकार के अतिरिक्त कवर पब्लिक पूरक कवर के लिए इस प्रकार के प्रीमियम के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति आपूर्तिकर्त्ता को बीमा कंपनी को भुगतान किए जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर की जाएगी। इस कारण से, इस प्रकार के अतिरिक्त कवर/ पूरक कवर के लिए प्रीमियम हेतू प्रभारों को अनुबंध की कीमत में शामिल नहीं किया जाता है।

(III) आपूर्तिकर्त्ता क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के संयुक्त नामों से पॉलिसी लेगा। यह पॉलिसी क्रेता को लाभार्थी के रूप में दर्शायेगा। हालांकि, यदि आपूर्तिकर्त्ता के पास अपने व्यापार के लिए खुली पॉलिसी हो तब यह इस तथ्य को दर्शाते हुए बीमा कंपनी से खुली कवर नीति की संपुष्टि प्राप्त करेगा कि इस अनुबंध के प्रति प्रेषणों को इसकी खुली नीति के अंतर्गत विधिवत शामिल कर लिया गया है और इसमें खुली नीति की संपुष्टि में संयुक्त रूप से बीमा किए अनुसार क्रेता का नाम शामिल रहेगा।

(IV) इस प्रकार के बीमा का कार्य क्षेत्र अंतिम गंतव्य स्थल के आधार पर इन सामानों की प्रदायगी सहित और उस सीमा तक सभी प्रकार के जोखिमों के लिए इन सामानों के बदले जाने/ फिर से स्थापित किए जाने संबंधी लागत अथवा सी आई एफ/ एक्स वर्क लागत का 120 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा और इसमें स्थल पर इन सामानों को सुपुर्द किए जाने तक मेरिट दर पर सीमा शुल्क, अंतरदेशीय ढुलाई और अन्य लागत भी शामिल होगी। ली जाने वाली बीमा पालिसी प्रतिस्थापन मूल्य आधार पर और/ अथवा बढ़ाने संबंधी नियम को शामिल करते हुए, होनी चाहिए। क्रेता अग्रिम राशि को छोड़कर किये गये भुगतान की वसूली करेगा और शेष राशि आपूर्तिकर्त्ता को जारी की जाएगी। बीमा कवर और अंडरराइटर से उपलब्ध दावे की राशि की सीमा होते हुए भी, आपूर्तिकर्त्ता सभी सामानों/ सामग्रियों को पूर्ण रूप से बदले जाने/ उसकी खामियों को दूर करने तथा परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। आपूर्तिकर्त्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह बीमा कंपनी से सीधे संपर्क करे।

28.2 क्रेता का नाम जी सी सी उपनियम 28.1 के अनुसरण में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ली गई बीमा संबंधी सभी पालिसियों के अंतर्गत सह–बीमित के रूप होगा। इस अनुबंध के कार्य निष्पादन के कारण दावे अथवा हानियों के लिए इस प्रकार के सह–बीमित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्थापन के सभी बीमाकर्त्ता के अधिकारों को इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत माफ कर दिया जायेगा।

28.3 आपूर्तिकर्त्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान हुई किसी प्रकार की क्षति, हानि, चोरी, उठाईगिरी अथवा आग के मामले में बीमा कंपनी के पास सभी दावों के बारे में शिकायत दर्ज करे, उस मामले को उठाये और उनका निपटारा करे और क्रेता को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। आपूर्तिकर्त्ता अन्डरराईटर द्वारा किए गए दावे के निपटारे पर विचार किए बिना तत्परता से खोई हुई/ क्षतिग्रस्त सामग्री को बदलेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य की प्रगति उस समय कार्यक्रम के अनुसार हो रही है जिस पर सहमति बनी। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में हानि, यदि कोई हो, का वहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जायेगा।

## 29. कानून और विनियमों में परिवर्तन

29.1 यदि बोली खोले जाने की तिथि से सात (07) दिन पूर्व की तिथि के बाद, किसी कानून, विनियमन, अध्यादेश अथवा उप नियम, जिसमें कानूनी शक्ति हो, भारत में बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है, लागू किया जाता है अथवा बदला जाता है (जिसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा व्याख्या अथवा लागू करने में किसी प्रकार का परिवर्तन शामिल करना मान्य होगा) जो बाद में आपूर्तिकर्त्ता के लागत और खर्चों तथा/ अथवा प्रदायगी संबंधी समय कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, इस अनुबंध की कीमत में उसी अनुपात में वृद्धि अथवा कमी की जायेगी और/ अथवा प्रदायगी संबंधी समय कार्यक्रम को उस सीमा तक उचित रूप से समायोजित किया जायेगा, जिस सीमा तक उसके द्वारा आपूर्तिकर्त्ता पर इस अनुबंध के अंतर्गत इसके किसी दायित्वों के कार्य निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। हालांकि ये समायोजन क्रेता और विक्रता के बीच सीधे लेन देन तक और न की आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कच्चे मालों की खरीद, मध्यवर्ती संघटकों आदि जिसके लिए क्रेता एकमात्र निर्णायक नहीं होगा, पर सीमित रहेगा। पूर्व में उल्लेख किए गए किसी तथ्य के होते हुए भी, इस प्रकार का अतिरिक्त अथवा कम किए गए लागतों का अलग से भुगतान अथवा उसके खाते में डाला जायेगा यदि उसे अनुबंध संबंधी करार के परिशिष्ट - 2 के अनुसार जहां भी लागू हो, कीमत के समायोजन संबंधी प्रावधानों में पहले ही लेखांकित किया गया हो।

## 30. अप्रत्याशित घटना

30.1 "अप्रत्याशित घटना" का आशय किसी ऐसी घटना से है जो क्रेता या आपूर्तिकर्त्ता, जैसी भी स्थिति हो, के उचित नियंत्रण के बाहर हो और जो प्रभावित पक्षकार के उचित ध्यान रखे जाने के बावजूद अपरिहार्य हो और जिसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हों :

(क) युद्ध, दुश्मनी अथवा युद्ध जैसे क्रियाकलाप (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), आक्रमण, विदेशी दुश्मन की कोई कार्यवाही और नागरिक युद्ध,

(ख) विद्रोह, क्रांति, उपद्रव, सिपाही विद्रोह, सरकार को कब्जे में लेने, संयंत्र, दंगे और नागरिक उपद्रव,

(ग) भूकंप, भू-स्खलन, ज्वालामुखी क्रियाकलाप, बाढ़ अथवा चक्रवात अथवा अन्य खराब मौसम संबंधी स्थितियां, न्यूक्लियर और दबाव तरंगें अथवा अन्य प्राकृतिक या भौतिक आपदा।

30.2 किसी भी पक्षकार के बारे में इस अनुबंध के अंतर्गत उस सीमा तक उसके दायित्वों का निर्वाह करने में चूक अथवा उसके उल्लंघन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जिस सीमा तक इस प्रकार के दायित्व का कार्य निष्पादन किसी अप्रत्याशित घटनाओं की किन्हीं स्थितियों से बाधित हुआ हो जो अवार्ड के अधिसूचना के तिथि के बाद प्रकट हुआ हो।

30.3 यदि किसी भी पक्षकार को किसी अप्रत्याशित घटना के द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों में से किसी दायित्व का निर्वहन करने से या में बाधा पहुंचाई गई हो, रोका गया हो अथवा विलंब हुआ हो तब यह इस प्रकार की घटना के होने के बाद चौदह (14) दिनों के भीतर इस प्रकार की घटनाओं और इसके कारण किन्हीं परिस्थितियों के होने के बारे में अन्य पक्षकार को लिखित रूप में सूचना देगा

30.4 वह पक्षकार जिसने इस प्रकार की सूचना दी है, को उस समय सीमा तक जब तक अप्रत्याशित घटना की संबंधित घटना बनी हुई हो तथा उस सीमा तक जिस सीमा तक पक्षकार के इस प्रकार के कार्य निष्पादन को रोका गया हो, उसमें बाधा पहुंचाई गई हो, अथवा उसमें विलंब हुआ हो, के लिए इस अनुबंध के अंतर्गत इसके दायित्वों का निष्पादन अथवा समय पर निष्पादन से मुक्त किया जाएगा। प्रदायगी संबंधी समय कार्यक्रम को जी सी सी नियम 32 के अनुसार बढ़ाया जायेगा।

## ज. अनुबंध के तत्वों में परिवर्तन

### 31. सुविधाओं में बदलाव

31.1 क्रेता के पास प्रस्ताव करने का अधिकार होगा और बाद यह अपेक्षा रखने का अधिकार होगा कि परियोजना प्रबंधक आपूर्तिकर्त्ता को इस अनुबंध में अथवा उससे किसी परिवर्तन, संशोधन, वर्धन अथवा विलोप (इसके बाद "परिवर्तन" कहा जाएगा) करने के लिए इस अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान समय समय पर आदेश दे सकता है बतर्शे की इस प्रकार का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसी एक अथवा उससे अधिक के संबंध में इस अनुबंध के सामान्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो :

(क) आरेखण, डिजाइन अथवा विनिर्देशन जहां इस अनुबंध के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले सामान का निर्माण विशेष रूप क्रेता के लिए किया जाना हो;

(ख) शिपमेंट अथवा पैकिंग की पद्धति;

(ग) प्रदायगी का स्थान; अथवा

(घ) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली संबंधित सेवाएं

31.2 जहां तक संभव हो किसी परिवर्तन की कीमत की गणना इस अनुबंध में शामिल किए गए दरों और कीमतों के अनुसार की जाएगी। यदि इस प्रकार की दरें और कीमतें अन्यायोचित हो तब उसके पक्षकार इस परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट दरों पर सहमत होंगे।

31.2.1 (i) उन मदों के लिए जिनके लिए मात्राओं को एकमुश्त अथवा लॉट अथवा समुच्चय में दर्शाया गया है और/ अथवा (ii) जहां मात्राओं का अनुमान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लगाया जाना है, के लिए अनुबंध की कीमत स्थिर रहेगी यदि यदि क्रेता द्वारा कार्य के क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो। मात्राएं और इकाई कीमतें (i) मात्राओं का बिल (बी ओ क्यू) / एकमुश्त मात्राओं/ लॉट/ समुच्चय का बिलिंग ब्यौरे का अनुमोदन करते समय, बाद में तय की गई और/ अथवा (ii) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अनुमान लगाए गए कीमतें केवल भुगतान के उद्देश्य से होगी। यदि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बी ओ क्यू/ बिलिंग ब्यौरा और/ अथवा अनुमानित मात्राओं के अलावा अतिरिक्त मात्रा तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार कार्य के क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपेक्षित हो तब आपूर्तिकर्त्ता इन मदों, जिनके लिए एकमुश्त अनुबंध कीमत के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाना, की अतिरिक्त मात्राओं को उपलब्ध करायेगा। यदि स्थल पर आपूर्ति किए गए ये मद कार्य के क्षेत्र को सफल रूप से पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक हो तब इस प्रकार की अतिरिक्त मात्राएं आपूर्तिकर्त्ता की सम्पत्ति होगी और उन्हें उस स्थल से वापस लिए जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एकमुश्त अनुबंध कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा यदि कार्य के क्षेत्र को सफल रूप में पूरा करने के लिए मात्राओं की वास्तविक आवश्यकता अनुमोदित बी ओ क्यू/ बिलिंग ब्यौरे तथा/ और आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अनुमानित मात्राओं से कम हो तब एकमुश्त अनुबंध कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और मात्राओं की इस प्रकार की कमी के कारण एकमुश्त कीमत से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यह आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह इस प्रकार की अतिरिक्त सामग्री के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सभी सांविधिक करों, शुल्कों और लेवी जो न माने गए निर्यात अनुबंध के मामले कानूनी रूप से अन्य प्रकार से भुगतान योग्य हुआ होता, का भुगतान करे। आपूर्तिकर्त्ता क्रेता को किसी देयता से सुरक्षित रखने के लिए क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को इस प्रकार की सामग्री को जारी किए जाने के पूर्व एक क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत करेगा।

समुच्चय/ लॉट/ एकमुश्त राशि को तकनीकी विनिर्देशनों के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित सदृश्य मद विवरण की अपेक्षा के अनुसार शासित किया जाएगा और ऊपर संदर्भित बिलिंग ब्यौरे इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान यदि और जिस प्रकार से अपेक्षित हो, आपूर्तिकर्त्ता के अनुरोध के आधार पर क्रेता द्वारा जारी किया जाएगा।

31.3 उपर्युक्त नियम 31.1 में उल्लेख की गई स्थिति के अलावा क्रेता के पास अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान इकाई कीमत एवं अन्य नियमों एवं शर्तों में बिना किसी बदलाव के अनुबंध करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान की शर्तें) में मूल रूप से दिए गए अनुसार अनुबंध की कीमत का पन्द्रह (15) प्रतिशत की सीमा तक उल्लिखित सामानों एवं उससे संबंधित सेवाओं की मात्रा में कमी एवं वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित है। हालांकि, अलग अलग मदों एवं सेवाओं की मात्रा किसी सीमा तक अलग अलग हो सकती है।

31.4 यदि इस प्रकार के किसी परिवर्तन से लागत में अथवा अपेक्षित समय में कमी अथवा वृद्धि होती हो, तब अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान किसी प्रावधान के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता के कार्य निष्पादन के बार में अनुबंध की कीमत अथवा प्रदायगी समय कार्यक्रम में एक न्यायोचित समायोजन किया जाएगा और तदनुसार अनुबंध में संशोधन किया जाएगा।

31.5 यदि उसके तथा परिवर्तन संबंधी अन्य आदेशों जो इस जी सी सी नियम 31 के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता पर पहले ही बाध्यकारी हो गया हो, के अनुपालन का समग्र प्रभाव अनुबंध संबंधी करार के अनुच्छेद 2 (अनुबंध की कीमत और भुगतान की शर्तें) में मूल रूप से दिए गए अनुसार अनुबंध की कीमत में पन्द्रह (15) प्रतिशत से अधिक तक की कमी अथवा वृद्धि करने के लिए होगा, आपूर्तिकर्त्ता क्रेता के परिवर्तन संबंधी आदेश के प्राप्त होने की तिथि से अठाइस (28) दिनों के भीतर उसके संबंध में आपत्ति के बारे में लिखित सूचना दे सकता है। यदि क्रेता आपूर्तिकर्त्ता के आपत्ति को स्वीकार कर लेता है, तब क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए सहमत होगा।

31.6 आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किसी संबंधित सेवाओं जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु जिन्हें अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था, के लिए वसूली जाने वाली कीमतों पर सहमति इन पक्षकारों द्वारा अग्रिम रूप में बनाई जाएगी और यह आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उसी प्रकार की सेवाओं के लिए अन्य पक्षकारों से वसूली गई प्रचलित दरों से अधिक नहीं होगी।

## 32. समय का विस्तार

32.1 यदि अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान किसी दिए गए समय में आपूर्तिकर्त्ता अथवा इसके उप ठेकेदार को उन स्थितियों का सामना करना पड़ता हो, जिससे जी सी सी नियम 4 के अनुसरण में सामानों की समय पर प्रदायगी अथवा संबंधित सेवाओं को समय पर

पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती हो तो आपूर्तिकर्त्ता तत्परता से इस विलंब, इसके संभावित समय एवं इसके कारणों के बारे में लिखित रूप से क्रेता को सूचना देगा। आपूर्तिकर्त्ता की सूचना प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो क्रेता इस स्थिति का आकलन करेगा और अपने विवेक से कार्य निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्त्ता के समय को आगे बढ़ायेगा और उस स्थिति में इन पक्षकारों द्वारा समय विस्तार की पुष्टि अनुबंध में संशोधन के द्वारा की जाएगी।

32.2 अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले को छोड़कर जैसा कि जी सी सी नियम 30 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है उसके अनुसार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इसकी प्रदायगी अथवा पूरा करने संबंधी दायित्वों के कार्य निष्पादन में किसी विलंब आपूर्तिकर्त्ता तब तक जी सी सी नियम 21.2 के अनुसरण में परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक जी सी सी उप नियम 32.1 के अनुसरण में किसी समय विस्तार को दिए जाने पर सहमति न बनी हो।

## 33. समाप्ति

33.1 गलती के लिए समाप्ति

33.1.1 क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को भेजी गयी गलती के संबंध में सूचना के द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुबंध को पूर्ण रूप में अथवा इसके किसी हिस्से को समाप्त कर सकता है :

(i) यदि आपूर्तिकर्त्ता जी सी सी नियम 32 के अनुसरण में अनुबंध में उल्लेख किए गए समयावधि अथवा क्रेता द्वारा दिए गए किसी समय विस्तार के भीतर सभी सामानों अथवा उसमें से किसी सामान की प्रदायगी करने में असफल होता हो; अथवा

(ii) यदि आपूर्तिकर्त्ता अनुबंध के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व का निर्वहन करने में असफल होता हो।

33.1.2 उस स्थिति में जब क्रेता उस अनुबंध को पूर्ण रूप में अथवा उसके किसी हिस्से को समाप्त करता हो तब जी सी सी नियम 33.1.1 के अनुसरण में, क्रेता ऐसी शर्तों पर अथवा उस रूप में जिसे वह उपयुक्त समझता हो, प्रदायगी न किए गए अथवा निष्पादन न किए गए सामानों या उससे संबंधित सेवाओं के सदृश्य सामानों अथवा सेवाओं की खरीद कर सकता है और आपूर्तिकर्त्ता इस प्रकार के सदृश्य सामानों अथवा उससे संबंधित सेवाओं के लिए दिए गए जाने वाले किसी अतिरिक्त लागतों के लिए क्रेता को वहन करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, आपूर्तिकर्त्ता अनुबंध के कार्य निष्पादन को उस सीमा तक जारी रखेगा, जिस सीमा तक उसे समाप्त नहीं किया गया हो।

33.1.3 यदि आपूर्तिकर्त्ता क्रेता के निर्णय में अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने तथा उसे कार्यान्वित करने में भ्रष्ट अथवा कपट नीतियों को अपनाता हो।

इस उप नियम के प्रयोजन से :

"भ्रष्ट प्रथा" अन्य पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु की प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पेश करना, उसे देना, प्राप्त करना अथवा मांगना है;

"धोखा धड़ी की प्रथा" बाहर गलत ढंग से प्रस्तुत करने सहित कोई कार्य अथवा चूक जो जानबूझकर अथवा लापरवाही से किसी पक्षकार को कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने अथवा किसी देयता से बचने के लिए भ्रम पैदा करता हो अथवा भ्रम पैदा करने का प्रयास करता हो;

"कटपूर्ण प्रथा" दो अथवा उससे अधिक प्रथाओं के बीच एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य एक अन्य पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने सहित एक अनुचित उद्देश्य प्राप्त करना है;

"बलपूर्वक प्रथा" किसी पक्षकार के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी पक्षकार को अथवा उसकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना अथवा उसे कमजोर करना या उसे उसे नुकसान पहुंचाने अथवा कमजोर करने के लिए धमकी देना है;

"प्रतिरोधी प्रथा"

(कक) किसी पक्षकार को जांच आगे बढ़ाने से अथवा जांच के संबंधित मामलों के बारे में इसकी जानकारी को प्रकट करने से इसे रोकने के लिए किसी पक्षकार को भ्रष्ट, धोखाधड़ी, बलपूर्वक, प्रतिरोधी अथवा कपटपूर्ण प्रथा के आरोपों की जांच और/ अथवा किसी पक्षकार को धमकी देने, तंग करने आदि के आरोपों की जांच क्रेता के बारे में किए जाने में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से जांच के वास्तविक साक्ष्य को जानबूझकर नष्ट करना, उसे झूठा साबित करना, उसे बदलना अथवा उसे छुपाना तथा गलत वक्तव्य देना है अथवा;

अथवा

(खख) ऐसी कोई कार्यवाही जिसका उद्देश्य क्रेता के निरीक्षण और लेखा परीक्षण संबंधी अधिकारों के उपयोग में वास्तविक रूप से बाधा पहुंचाना हो।

इसकी नीति के अनुसरण में, क्रेता किसी अनुबंध को अवार्ड किए जाने के लिए या तो अनिश्चित काल तक अथवा किसी लिखित समयावधि तक अपात्र घोषित करने सहित किसी प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को स्वीकृति देगा यदि यह किसी दिए गए समय में यह निर्धारित करता हो कि यह प्रतिष्ठान किसी अनुबंध को किए जाने अथवा उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने में प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट, कपटपूर्ण, धोखाधड़ी, बलपूर्वक अथवा प्रतिरोधी तथा प्रथाओं में लगा हुआ है।

33.1.4 बाल श्रम अथवा कानूनी रूप से श्रम से संबंधित किसी अधिदेश प्राप्त प्रावधानों के प्रावधानों का ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन ("पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन" के संबंध में खासकर) इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए आधार होगा।

33.2 दिवालियापन के लिए समाप्ति

यदि आपूर्तिकर्त्ता दिवालिया अथवा अन्य तरीके से ऋण अदा करने में सक्षम नहीं होता है, तब क्रेता किसी भी दिए गए समय में इस अनुबंध को आपूर्तिकर्त्ता को सूचना देकर समाप्त कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति में, आपूर्तिकर्त्ता को मुआवजा दिए बिना समाप्ति की जाएगी बतर्शे कि इस प्रकार की समाप्ति से कार्रवाई अथवा निराकरण के किसी अधिकार जो हुआ हो अथवा क्रेता को बाद में होगा, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उसमें किसी प्रकार का व्यवधान होगा।

33.3 सुविधा के लिए समाप्ति

33.3.1 क्रेता आपूर्तिकर्त्ता को नोटिस भेजकर इस अनुबंध को अपनी सुविधा के लिए किसी भी दिए गए समय में संपूर्ण रूप में अथवा इसके किसी हिस्से को समाप्त कर सकता है। समाप्ति संबंधी सूचना में इस बात का उल्लेख होगा कि समाप्ति क्रेता की सुविधा के लिए उस सीमा तक की गई, जिस सीमा तक इस अनुबंध के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता के कार्य निष्पादन को समाप्त किया गया हो तथा उस तिथि जब इस प्रकार की समाप्ति प्रभावी को जाती है, समाप्त की जाएगी।

33.3.2 ये सामान जो समाप्ति की सूचना आपूर्तिकर्त्ता को प्राप्त होने के बाद अठाइस (28) दिनों के भीतर भेजे जाने के लिए पूर्ण एवं तैयार हो, को क्रेता द्वारा अनुबंध की शर्तों और कीमतों पर स्वीकार किया जाएगा। शेष सामानों के लिए क्रेता निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को अपना सकता है :

(i) अनुबंध की शर्तों और कीमतों पर पूरी की गई अथवा प्रदायगी की गई किसी भाग को प्राप्त करना; और/अथवा

(ii) शेष सामानों को रद्द करना तथा आपूर्तिकर्त्ता को आंशिक रूप से पूरे किए गए सामानों और उससे संबंधित सेवाओं के लिए तथा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पूर्व में खरीदी गई सामग्री और हिस्सों के लिए सहमति राशि का भुगतान करना।

**34. सौंपा गया कार्य**

34.1 न तो क्रेता और न ही विक्रेता अन्य पक्षकार की लिखित सहमति को छोड़कर इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप में पूरा करेगा।

## झ. विवादों का समाधान

**35. विवादों का निपटारा**

35.1 यदि इस अनुबंध के संबंध में अथवा उससे उत्पन्न होने वाले क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो तब, इसके अस्तित्व में होने, वैध होने अथवा समाप्त होने अथवा इन सुविधाओं को कार्यान्वित किए जाने, चाहे वह इन सुविधाओं की प्रगति के दौरान अथवा उनके पूरा होने के बाद और चाहे समाप्ति, अनुबंध का त्याग करने अथवा उसके उल्लंघन के पूर्व में अथवा बाद में हुआ हो, के संबंध में कोई प्रश्न का पूर्व में सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना पक्षकार इस प्रकार के विवाद अथवा अंतर को आपसी विचार विमर्श के द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से संभव सीमा तक हल करने की कोशिश करेगा।

35.2 यदि ये पक्षकार कार्यान्वयन स्थल के स्तर पर आपसी विचार विमर्श के द्वारा इस प्रकार के किसी विवाद अथवा अंतर का समाधान नहीं कर पाता हो तब इस विवाद को परियोजना प्रबंधक को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संदर्भित किया जाएगा जो ऐसा करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किए गए अनुरोध के बाद तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय के बारे में लिखित सूचना देगा।

35.2.1 परियोजना प्रबंधक के निर्णय/ अनुदेश को तब तक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया हुआ माना जाएगा जब तक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इस प्रकार के निर्णय/ अनुदेश को तीस (30) दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए इस मामले को भेजे जाने के उसके आशय को अधिसूचित न किया गया हो।

35.2.2 परियोजना प्रबंधक द्वारा उपर्युक्त तीस (30) दिनों के भीतर अपने निर्णय को अधिसूचित किए जाने में असफल रहने की स्थिति में, आपूर्तिकर्त्ता, यदि उसका उद्देश्य मध्यस्थता करने का हो तब वह परियोजना प्रबंधक को तीस (30) दिनों की प्रथमतया उल्लिखित

अवधि के समाप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर अधिसूचित करेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया हो तब यह माना जाएगा कि क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच कोई विवाद अथवा अंतर नहीं है।

35.3 क्रेता और आपूर्तिकर्त्ता के बीच किसी प्रकार विवाद अथवा अंतर होने की स्थिति में, यदि क्रेता का उद्देश्य मध्यस्थता करना हो तब वह आपूर्तिकर्त्ता को इस प्रकार के आशय की सूचना देगा।

## 36. मध्यस्थता

36.1 सभी प्रकार के विवाद अथवा अंतरों जिसके संबंध में परियोजना प्रबंधक और/ अथवा कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारी के प्रमुख का निर्णय, यदि कोई हो, अंतिम अथवा बाध्यकारी नहीं हो गया हो जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, का निपटारा यहां नीचे दिए गए तरीके से मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

36.2 मध्यस्थता तीन मध्यस्थों द्वारा और प्रत्येक मध्यस्थ को आपूर्तिकर्त्ता और क्रेता द्वारा नामित और तीसरा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार दोनों मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाना है, आयोजित की जाएगी। यदि इन पक्षकारों में से कोई पक्षकार मध्यस्थता नियम को रद्द करते हुए अन्य पक्षकार से सूचना प्राप्त होने की तिथि के बाद साठ (60) दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर पाता हो तब मध्यस्थता नियम को रद्द करने वाले पक्षकार द्वारा नियुक्त किया गया मध्यस्थ इस प्रकार की मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ हो जाएगा।

36.3 मध्यस्थता की कार्यवाही और इन पक्षकारों के बीच पत्राचार तथा दस्तावेजों की भाषा अंग्रेजी होगी। इस मध्यस्थता को भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों अथवा उसके किसी सांविधिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

36.4 अधिकांश मध्यस्थों का निर्णय इन पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। उपर्युक्त में से किसी मध्यस्थ की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा लापरवाही बरते जाने, परित्याग करने अथवा किसी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में, संबंधित पक्षकार के लिए बाहर जाने वाले मध्यस्थ के स्थान पर एक अन्य मध्यस्थ को नामित करना विधिसंवत होगा।

36.5 विवादों का निपटारा एवं मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों के दौरान, दोनों पक्षकार इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अलग अलग दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरायी होंगे।

*--- खंड - IV (जी सी सी) का समाप्ति ---*